



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 4, 2003/भाद्र 13, 1925

No. 424]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2003/BHADRA 13, 1925

विदेश मंत्रालय

(सी. पी. प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 707(अ).— भारत सरकार और इटली सरकार स्वार्पक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 29 के अनुसार 1988 संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संबंध में जो 1 नवम्बर 1990 को प्रवृत्त हुआ था, के पक्षकार हैं।

इस समय अनुच्छेद 3 के तदधीन सृजित अपराधों को उपबर्णित किया गया है;

इस अभिसमय का अनुच्छेद 6 उन अपराधों को प्रत्यर्पणीय बनाता है;

द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में अनुच्छेद 3 में सृजित अपराधों के संबंध में अभिसमय प्रत्यर्पण के लिए विधिक आधार का उपबंध करता है।

भारत सरकार और इटली सरकार के बीच ऐसी कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है जो इस समय प्रवर्तन में हो, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की 1993 में यथासंशोधित की धारा 3 की उपधारा (4), केन्द्रीय सरकार को किसी अभिसमय जिसमें भारत और विदेशी राज्य पक्षकार हों, उस अभिसमय में विनिर्दिष्ट अपराधों की बाबत प्रत्यर्पण के लिए उपबंध करने वाले उस विदेशी राज्य के साथ अधिसूचित आदेश द्वारा भारत द्वारा की गई प्रत्यर्पण संधि के रूप में मानने के लिए शक्ति प्रदान करता है; और

स्वार्पक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में 1988 संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

के पाठ में निम्नलिखित उपबंध हैं -

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के व्यापार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय तारीख 19 दिसम्बर, 1988 को इसके 6वें पूर्णाधिवेशन में सम्मेलन द्वारा अंगीकृत इस अभिसमय के पक्षकार

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों, जो मानव जाति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा हैं और समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं; के विस्तार और इसके अवैध उत्पादन में मांग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से गंभीर रूप से चिंतित हैं;

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार विभिन्न सामाजिक समूहों में त्वरित बढ़ते हुए धावे और विशेष रूप से इस बात से कि औषधियों के अवैधियों के अवैध व्यापार के रूप में विश्व के अनेक भागों में बालकों का उपयोग किया जाता है, से भी अत्यधिक चिंतित हैं ;

अवैध व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों का दमन करने के लिए दाण्डिक मामलों में प्रभावी विधिक उपायों को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को भी स्वीकार करते हुए;

एक व्यापक, प्रभावी और सक्रियात्मक अभिसमय तैयार करने जो विनिर्दिष्टतया अवैध व्यापार के संबंध में निर्देशित हो और जिसमें कुल मिलाकर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया हो, विशिष्टतया उन पहलुओं पर जिनकी स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के क्षेत्र में विद्यमान संधियों में अभिकल्पना न की गई हो, की वांछ करते हुए;

निम्नलिखित करार करते हैं :-

अनुच्छेद - 1
परिभाषाएं

सिवाय वहां के जहां अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपवर्णित है या जहां संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित है, वहां पूरे अभिसमय के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होगी;

- (क) 'बोर्ड' से स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961 द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड और स्वापक औषधियों पर संशोधनकारी एकल अभिसमय 1961 प्रोटोकॉल 1972 द्वारा यथा संशोधित अभिप्रेत है;
- (ख) 'केनविस प्लांट' से कैनविस का कोई पौधा अभिप्रेत है;
- (ग) 'कोसा बुश' से एरिथ्रोक्सीलोन की प्रजाति का कोई पौधा अभिप्रेत है;
- (घ) 'वाणिज्यिक वाहक' से पारिश्रमिक किराए अथवा अन्य फायदे के लिए व्यक्तियों, माल अथवा डाक के परिवहन में लगा कोई व्यक्ति, अथवा लोक, निजी अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है ;
- (ङ) 'आयोग' से संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का स्वापक औषधि आयोग अभिप्रेत है;
- (च) 'अधिहरण' जिसमें समपरण जहाँ लागू हो, भी है, से किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति की स्थायी वंचना अभिप्रेत है;

(छ) 'नियंत्रित परिवान' से इस अभिसमय से उपाबद्ध सारणी -I और सारणी -II में स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, पदार्थों को या उनके लिए प्रतिस्थापित पदार्थों के अवैध या संदिग्ध परेषणों को अनुज्ञात करने, अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैरा -I के अनुसार सिद्ध किए गए अपराधों को करने में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से एक या अधिक देशों के राज्य क्षेत्रों में से निकालने, से होकर गुजरने या राज्य क्षेत्र में उनके सक्षम प्राधिकारियों की जानकारी में या उनके पर्यवेक्षणाधीन की तकनीक अभिप्रेत है;

(ज) अभिसमय 1961 से औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961 अभिप्रेत है;

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों, जिसमें अवैध उत्पादन, वितरण और उनके व्यापार के प्रयोजनों के लिए और उपभोक्ता बाजार अनिश्चित गंभीर खतरा बना हुआ है;

अवैध व्यापार और अन्य संबद्ध संगठित आपराधिक गतिविधियों जो राज्यों की वैध अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हैं और उनकी स्थायित्व, सुरक्षा और संप्रभुता को संकट ग्रस्त बनाते हैं, के बीच संपर्कों को स्वीकार करना;

यह भी स्वीकार करना कि अवैध व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधि है जिसका दमन करने के लिए तत्काल ध्यान और उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

इस बात से अवगत है कि अवैध व्यापार से भारी वित्तीय लाभ और धन उत्पन्न होता है जिससे परराष्ट्रीय आपराधिक संगठन सरकार वैध, वाणिज्यिक एवं वित्तीय व्यापार करके और समाज में सभी स्तरों पर घुसपैठ करके उसके ढांचे को संक्रमित एवं भ्रष्ट कर देते हैं;

अवैध व्यापार में लगे व्यक्तियों को उनकी आपराधिक गतिविधियों के आगमों से वंचित कर और जिसके द्वारा ऐसा करने के लिए उनके प्रमुख प्रोत्साहन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प;

स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या के मूल कारणों, जिसमें ऐसे औषधों और प्रदार्थों की अवैध मांग और अवैध व्यापार से व्युत्पन्न अत्यधिक लाभ भी शामिल हैं, को समाप्त करने की वांछ करना;

यह विचार करते हुए कि वे उपाय जो कुछ निश्चित पदार्थों जिनमें कुछ प्रिकर्स, रसायन और विलायक शामिल हैं और जिनका प्रयोग स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण में किया जाता है। का अनुवीक्षण करना अनिवार्य है, इनकी सुलभता के कारण ऐसा औषधियों एवं पदार्थों की चोरी छिपे विनिर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है;

समुद्र के रास्ते अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार लाने के लिए कृत संकल्प होना;

यह मानते हुए कि अवैध व्यापार का उन्मूलन सभी राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत समन्वित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है;

स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्षमता अभिस्वीकार करते हुए और यह वांछ करते हुए कि ऐसे नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अंग उस संगठन के ढांचे के अंतर्गत होने चाहिए;

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी क्षेत्र में विद्यमान संधियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों और उसमें समाविष्ट नियंत्रण प्रणाली की पुनःपुष्टि करना;

स्वापक औषध एकल अभिसमय, 1961 स्वापक औषधि एकल अभिसमय 1961 का 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित अभिसमय, और मनःप्रभावी पदार्थों संबंधी 1971 के अभिसमय में दिए गए उपायों को अवैध व्यापार के परिणाम और विस्तार का तथा इसके भयंकर परिणामों का मुकाबला करने की दृष्टि से संबंधित एवं संपूरित करने की आवश्यकता को मानन;

(झ) '1961' के यथा संशोधित अभिसमय से स्वापक औषधि एकल अभिसमय 1961 का संशोधनकारी 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित स्वापक औषधि एकल अभिसमय, 1961 अभिप्रेत है;

(ञ) '1971' के अभिसमय से मनःप्रभावी पदार्थ अभिसमय, 1971 अभिप्रेत है;

(ट) 'परिषद' से संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अभिप्रेत है;

(ठ) 'रोक लगाना अथवा अभिहरण से' संपत्ति के अंतरण से परिवर्तन, निपटान अथवा संचलन को अस्थायी रूप से निषिद्ध करना अथवा किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के आधार पर संपत्ति को अस्थायी अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में लेना अभिप्रेत है;

(ड) 'अवैध व्यापार' से इस अभिसमय के अनुच्छेद 2 पैरा 1 एवं 2 में उपवर्णित अपराध अभिप्रेत है;

(ढ) 'स्वापक औषधि' से स्वापक औषधि एकल अभिसमय, 1961 की अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में तथा स्वापक औषधि एकल अभिसमय के संशोधनकारी 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित अभिसमय में वर्णित कोई भी प्राकृतिक एवं सिंथेटिक पदार्थ अभिप्रेत है;

(ण) 'अफीम की पोपी' से पोपेवर सोमनी फेरम एल प्रजाति का पौधा अभिप्रेत है;

(त) 'आगम' का अर्थ अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार अपराध करने के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोदभूत अथवा अभिप्राप्त कोई सम्पत्ति अभिप्रेत है;

(थ) 'सम्पत्ति' से किसी प्रकार की आस्तियां चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त और ऐसी आस्तियों पर हक अथवा उसमें हित का साक्ष्य देने वाले विधिक दस्तावेज या लिखित अभिप्रेत है;

(द) 'मनः प्रभावी' पदार्थ से कोई प्राकृतिक अथवा सिंथेटिक पदार्थ, अथवा मनः प्रभावी पदार्थ अभिसमय, 1971 की अनुसूची I, II, III एवं IV में की कोई प्राकृतिक सामग्री अभिप्रेत है;

(ध) 'महासचिव' से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभिप्रेत है;

(न) 'सारणी -I एवं सारणी -II से इस अभिसमय में तदनुसार संलग्न संख्यांकित पदार्थ सूची जो अनुच्छेद-12 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित हो, अभिप्रेत है;

(प) 'पारगमन राज्य' से वह राज्य अभिप्रेत है जिसके राज्य क्षेत्र से होकर सारणी-I और सारणी-II में शामिल अवैध स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थों को ले जाया जाता है जो राज्य न तो इन पदार्थों का मूल स्थान है और न ही इनका अंतिम गन्तव्य ।

अनुच्छेद - 2 अभिसमय की व्याप्ति

1. इस अभिसमय का उद्देश्य यह है कि पक्षकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाले स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विभिन्न पहलुओं से अधिक प्रभावी

ढंग से निपट सकें। अभिसमय के अधीन अपने दायित्वों के लिए पक्षकार उनकी अपनी-अपनी घरेलू वैधानिक प्रणालियों के मूलभूत उपबंधों के अनुरूप वैधानिक एवं प्रशासनिक उपायों सहित आवश्यक उपाय करेंगे।

2. इस अभिसमय के अधीन अपने दायित्वों का पालन, पक्षकार ऐसी रीति से करेंगे जो राज्यों की प्रभुसत्तात्मक समानता एवं राज्य क्षेत्रीय अखण्डता के और अन्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न किए जाने के सिद्धांतों के अनुरूप हो।

3. कोई पक्षकार किन्हीं कृत्यों का निष्पादन अधिकारिता का प्रयोग दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में नहीं करेगा जो उस अन्य पक्षकार का घरेलू विधि द्वारा उसके प्राधिकारियों के लिए ही अनन्य रूप से आरक्षित हैं।

अनुच्छेद - 3 अपराध तथा प्रतिबंध

1. प्रत्येक पक्षकार ऐसे उपाय करेगा जो देशी विधि के अधीन दायित्विक अपराधों के रूप में सिद्ध करने के लिए तब आवश्यक हो जब उन्हें आशापूर्वक किया गया हो ;

(क)(i) 1961 के अभिसमय यथा संशोधित 1961 के अभिसमय 1971 के अभिसमय के उपबंधों के विपरीत किसी स्वापक औषध अथवा मनः प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, निष्कर्षण निर्मित करना, प्रस्तुत करना, विक्रय के लिए प्रस्तुत करना, वितरण विक्रय किन्हीं भी शर्तों पर परिदत्त करना, दलाली करना, परेषण करना, पारगमन में परेषण करना, परिवहन, आयात या निर्यात करना ;

(ii) अफीम की पोपी, कोका बुश अथवा कैनाबिस पौधे की खेती 1961 के अभिसमय और 1961 के यथासंशोधित अभिसमय के उपबंधों के विपरीत स्वापक औषध का उत्पादन के प्रयोजन के लिए ;

(iii) उपर्युक्त (i) में प्रमाणित किसी भी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए किसी स्वापक औषध अथवा मनः प्रभावी पदार्थ को क्रय करना या अपने कब्जे में रखना ;

(iv) सारणी I एवं सारणी II में सूचीबद्ध उपस्करों, सामग्री पदार्थों का विनिर्माण, परिवहन अथवा वितरण यह जानते हुए करना कि इनका प्रयोग स्वापक औषधि अथवा मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन अथवा विनिर्माण में किया जाना है ;

(v) उपर्युक्त (i), (ii), (iii) अथवा (iv) में प्रमाणित किसी अपराध का आयोजन, उसका प्रबंधन अथवा वित्त पोषण करना;

(ख)(i) संपत्ति का संपरिवर्तन अथवा अंतरण यह जानते हुए करना कि ऐसी संपत्ति इस पैरा के उप पैरा (क) के अनुसार सिद्ध अपराध या अपराधों से अथवा ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता से व्युत्पन्न हुई हैं और संपरिवर्तन का उद्देश्य, सम्पत्ति के अवैध स्रोत को छिपाना या रूप परिवर्तित करना हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने का हो जो ऐसे अपराध या अपराधों को करने में संलिप्त हो या अपने कृत्यों के विधिक परिणामों से वचना चाहता हो ;

(ii) यह जानने के संबंध में ऐसी कोई सम्पत्ति, इस पैरा के उप पैरा (क) के अनुसार सिद्ध अपराध से व्युत्पन्न हुई है या फिर ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता से प्राप्त हुई है जो उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व या उसकी वास्तविक प्रकृति स्रोत, अवस्थिति, नियंत्रण, संचलन, अधिकारों को छिपाना या रूप परिवर्तित करता है ;

(ग) अपने सांविधिक सिद्धांतों और विधिक प्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं के अधीन रहते हुए :

(i) किसी सम्पत्ति की प्राप्ति के समय यह जानते हुए भी कि यह सम्पत्ति इस पैरा के उप पैरा (क) के अनुसार, सिद्ध अपराध या अपराधो से व्युत्पन्न हुई थी या फिर ऐसे अपराध या अपराधों में सहभागिता के कृत्य प्राप्त हुई थी, उक्त सम्पत्ति का अर्जन कब्जा अथवा उसका प्रयोग करना ;

(ii) सारणी I एवं सारणी II में सूचीबद्ध उपस्करों, सामग्रियों या पदार्थों को यह जानते हुए भी अपने कब्जे में रखना कि इनका प्रयोग स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन अथवा विनिर्माण में किया जा रहा है या किया जाना है ;

(iii) इस अनुच्छेद के अनुसार सिद्ध अपराधों में से किसी अपराध को करने के लिए या स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों को अवैध रूप से प्रयोग करने के लिए दूसरों को, किसी भी माध्यम से सार्वजनिक रूप से उद्दीप्त अथवा उत्तरेरित करना;

(iv) इस अनुच्छेद के अनुसार सिद्ध अपराधों में से किसी अपराध को करने के लिए सहायता देना, दुष्प्रेरणा देना, सुकर बनाना और परामर्श देना तथा ऐसे कृत्यों में सहभागिता करना, सहयोग करना, करने के लिए षडयंत्र करना, करने के प्रयास करना;

2. अपने सांविधिक सिद्धांतों एवं अपनी विधायी प्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं के अधीन, प्रत्येक पक्षकार 1961 के अभिसमय, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय अथवा 1971 के अभिसमय के उपबंधों के विपरीत स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों को वैयक्तिक उपभोग के लिए अपने कब्जे में उस समय रखने, क्रय करने अथवा परिष्करण करने जब यह इरादे से किया जाए तो, अपने घरेलू देशी विधियों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध सिद्ध कराने के लिए यथावश्यक उपाय करेगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उपवर्णित किसी अपराध के एक आवश्यक तत्व के रूप में अपेक्षित जानकारी, आशय अथवा प्रयोजन को वस्तुपरक वास्तविक परिस्थितियों से अनुमानित किया जा सकेगा ।

4(क) इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार सिद्ध अपराध करना प्रत्येक पक्षकार द्वारा प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा; जो अपराधों जैसे दण्डादेश, स्वतंत्रता से वंचित रहने का कोई प्रकार धनीष्ट प्रतिबंध तथा अधिहरण की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखेगा ।

(ख) इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार सिद्ध अपराध करने के लिए पक्षकार दोषसिद्धि अथवा दण्ड के अतिरिक्त यह प्रावधान भी कर सकते हैं कि अपराधों को उपचार, शिक्षा, परवर्ती देखभाल, पुनर्वास अथवा सामाजिक पुनरेकीकरण जैसे अन्य उपायों से भी सुधारा जाएगा ।

(ग) पूर्ववर्ती उप-पैराओं में किसी बात के होते हुए भी, गौण प्रकृति के उपयुक्त मामलों में पक्षकार दोषसिद्धि अथवा दंड के विकल्पों के रूप में शिक्षा, पुनर्वास अथवा सामाजिक पुनर्एकीकरण के साथ-साथ जब अपराधी नशीली दवाओं का आदी हो, तो उपचार एवं अनुरक्षण जैसे उपाय कर सकते हैं ।

(घ) पक्षकार दोषसिद्धि अथवा दंड के विकल्पों अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार स्थापित अपराध की दोषसिद्धि अथवा दंड के अलावा अपराधी के उपचार, शिक्षा, अनुरक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के उपाय कर सकते हैं ।

5. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों जिनकी अधिकारिता हो, वास्तविक परिस्थितियों को हिसाब में ले सकते हैं जो इस अनुच्छेद के पैरा-1 के अनुसार विशेषकर गम्भीर प्रकृति के, अपराधों के होने को स्थापित करते हैं जैसे :

(क) किसी संगठित आपराधिक समूह के उस अपराध में अंतर्लिप्त होना जिससे अपराधी संबंध रखता है;

(ख) अपराधी का अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गतिविधियों में अंतर्लिप्त होना;

(ग) अपराधी का अन्य अवैध गतिविधियों में अंतर्लिप्त होना जो अपराध के होने से सुकर हुई हैं;

(घ) अपराधी द्वारा हिंसा अथवा हथियारों का प्रयोग;

(ङ) यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और अपराध प्रश्नगत अपराध से सम्बद्ध है;

(च) अव्यस्कों का उत्पीड़न अथवा उनका उपयोग करना;

(छ) यह तथ्य कि अपराध पैनल संस्था अथवा शैक्षिक संस्था में अथवा समाज सेवा सुविधा अथवा उनके एकदम निकट अथवा उन अन्य स्थानों में जहां स्कूली बच्चे और छात्र शैक्षिक, खेलकूद और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आश्रय लेते हैं, किया गया है;

(ज) विशेषकर उन्हीं अपराधों के लिए पूर्व में दोषसिद्धि चाहे वह विदेशी अथवा घरेलू हो तो पक्ष की घरेलू विधि के अधीन अनुज्ञात सीमा तक हो ।

6. पक्षकार इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयास करेंगे कि इस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के संबंध में अपनी-अपनी घरेलू विधि के अन्तर्गत किन्हीं विवेकाधीन विधिक शक्तियों का प्रयोग उन अपराधों के संबंध में एवं ऐसे अपराधों को करने से रोकने की आवश्यकता का उचित सम्मान करते हुए विधि प्रवर्तन उपायों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया है ।

7. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालयों या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अपराधों की गम्भीर प्रकृति तथा इस अनुच्छेद के पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर ऐसे अपराधों में सिद्धदोष व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई अथवा पैरोल पर छोड़ने की सम्भावनाओं पर विचार करते समय, विचार किया गया है ।

8. प्रत्येक पक्षकार जहां उपयुक्त हो, अपनी घरेलू विधि के अधीन परिसीमाओं की अवधि की एक वृहत् संविधि की स्थापना करेंगे जिसमें इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करेगा और जहां आरोपित अपराधी न्याय प्रशासन से बच निकला है, वहीं लम्बी अवधि के लिए कार्यवाही करेगा।

9. प्रत्येक पक्षकार अपनी विधिक प्रणाली से सुसंगत समुचित उपाय करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को जो राज्य क्षेत्र के भीतर पाया गया है, आवश्यक आपराधिक कार्यवाहियों में उपस्थित है आरोपित किया गया है या दोषसिद्ध किया गया है।

10. विशेषकर इस अभिसमय के अनुच्छेद 5,6,7 और 9 के अन्तर्गत सहयोग सहित पक्षकारों के बीच सहयोग के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित अपराधों को वित्तीय अपराध अथवा राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा अथवा पक्षकारों की संवैधानिक सीमाओं तथा मौलिक घरेलू कानून की पूर्वधारणा के राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराध नहीं माना जाएगा।

11. इस अनुच्छेद की कोई बात इस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेगी कि उन अपराधों का विवरण जिनका वह उल्लेख करता है तथा जो उसके कानूनी प्रति रक्षा का है, किसी पक्ष के घरेलू कानून के लिए आरक्षित है और यह कि इस प्रकार के अपराध में उक्त विधि के अनुरूप अभियोजन चलाया जाएगा तथा दंडित किया जाएगा।

अनुच्छेद - चार क्षेत्राधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार :

(क) ऐसे उपाय करेगा जो अनुच्छेद-3 के पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के बारे में उसकी अधिकारिता को स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, जब :

(i) अपराध उसके राज्य क्षेत्र में किया जाता है;

(ii) अपराध फलक पर उस जलयान जिस पर उसका झण्डा फहरा रहा हो या उस वायुयान पर जो अपराध को करते समय उसकी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत हो; किया जाता है;

(ख) ऐसे उपाय कर सकेगा जो अनुच्छेद-3 के पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के बारे में उसकी अधिकारिता को स्थापित करने के लिए आवश्यक हों; जब :

(i) अपराध उसके किसी राष्ट्रिक अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका उसके राज्य क्षेत्र में स्थायी आवास हो किया जाता है;

(ii) अपराध ऐसे जहाज में किया जाता है जिसके संबंध में उक्त पक्ष को अनुच्छेद-17 के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि इस प्रकार की अधिकारिता केवल उक्त अनुच्छेद के पैरा 4 और 9 में उल्लिखित कारणों अथवा व्यवस्थाओं के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी ;

(iii) अपराध अनुच्छेद-तीन के पैरा 1, उप-पैरा (ग) (iv) के अनुसार स्थापित अपराधों में से एक है, और अनुच्छेद-तीन के पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराध उसके प्रदेश के भीतर करने के उद्देश्य से उसके प्रदेश के बाहर किया जाता है।

2. प्रत्येक पक्षकार:

(क) जब आरोपित अपराधी उसके राज्यक्षेत्र में उपस्थित हो और वह निम्नलिखित आधारों पर अन्य पक्ष को उसे प्रत्यर्पित नहीं करता है तो अनुच्छेद-3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के संबंध में उसकी अधिकारिता को स्थापित करने के लिए भी ऐसे उपाय करेगा जो उसके लिए आवश्यक हों :

(i) यह कि अपराध उसके राज्यक्षेत्र में किया गया हो अथवा फलक पर उस जलयान में जिस पर उसका झण्डा फहरा रहा हो या उस वायुयान में जो अपराध को करते समय उसके कानून के अंतर्गत पंजीकृत था;

(ii) यह कि अपराध उसके राष्ट्रिकों में से किसी एक राष्ट्रिक ने किया हो।

(ख) जब आरोपित अपराधी उसके राज्यक्षेत्र में हो और वह उसे अन्य पक्षकार को प्रत्यर्पित नहीं करता हो तो अनुच्छेद-3 के पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के संबंध में अपनी अधिकारिता स्थापित करने के लिए ऐसे भी उपाय कर सकेगा जो आवश्यक हों।

3. यह अभिसमय किसी पक्षकार को उसके घरेलू कानून के अनुसार स्थापित किसी आपराधिक अधिकारिता के प्रयोग को अपवर्जित नहीं करता है।

अनुच्छेद - पांच समपहरण

1. प्रत्येक पक्षकार समपहरण को समर्थ बनाने के लिए ऐसे उपाय अपनाएगा जो आवश्यक हों:

(क) अनुच्छेद-3, पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों से प्राप्त आगमों अथवा सम्पत्ति जिसकी कीमत ऐसे आगमों के समरूप हो;

(ख) स्वापक और औषधि, मनः प्रभावी पदार्थों, सामग्रियों एवं उपकरण अथवा अन्य सहायता अनुच्छेद-3, पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों में उपयोग या उन्हें किसी पद्धति में उपयोग में लाने का आशय;

2. प्रत्येक पक्षकार ऐसे उपाय भी करेगा जो उसके सक्षम प्राधिकारियों के लिए सम्भावित समपहरण के प्रयोजनार्थ आगम, सम्पत्ति, सहायता, अथवा इय अनुच्छेद के पैरा-1 में उल्लिखित अन्य वस्तुओं की पहचान करने, जांच करने तथा रोक लगाने अथवा जब्त करने के लिए आवश्यक हों।

3. इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक पक्षकार अपने न्यायालयों अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणों को यह आदेश देने के लिए समर्थ बनाएगा कि बैंक, वित्तीय अथवा वाणिज्यिक

अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाए अथवा जब्त किया जाए। कोई भी पक्षकार इस पैरा के उपबंधों के अंतर्गत बैंक गोपनीयता के आधार पर कार्य करने से मना नहीं करेगा।

4. (क) अनुच्छेद-3, पैरा 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता होने पर अन्य पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार अनुरोध करने पर वह पक्षकार जिसकी अधिकारिता में इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा अन्य कोई वस्तु अवस्थित है;

(i) समपहरण का आदेश प्राप्त करने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध करेगा तथा यदि ऐसी मंजूरी दी जाती है तो वह उसे कार्यान्वित करेगा; अथवा

(ii) अनुरोध की गई सीमा तक उसे प्रभावी बनाने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जारी समपहरण का आदेश प्रस्तुत करेगा जहां तक यह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की अधिकारिता में अवस्थित पैरा 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा अन्य किसी वस्तु से है।

(ख) अनुच्छेद-3, पैरा 1 के अनुसार स्थापित किसी अपराध के संबंध में कोई अन्य पक्षकार जिसकी उस पर अधिकारिता है, इस अनुच्छेद के अनुसार अनुरोध करने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के आदेश पर अथवा इस पैरा के उप-पैरा (क) के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के अनुसार सम्भावित समपहरण के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अर्थागम, सम्पत्ति, सहायता अथवा किसी अन्य वस्तु की पहचान, जांच तथा रोक लगाने अथवा जब्ती के उपाय करेगा।

(ग) इस पैरा के उप-पैरा (क) और (ख) में किए गए विनिश्चयों अथवा उपबंधित कार्रवाईयों को, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा अपनी घरेलू विधि, अपनी क्रियाविधि उपबंधित नियमों अथवा किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधि, करार अथवा उस व्यवस्था जिसमें वह अनुरोधकर्ता पक्ष के संबंध में बाध्य है, के अनुसार तथा उनके उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

(घ) अनुच्छेद-7, के उपबंध पैरा 6 से 19 आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हैं। अनुच्छेद-7, पैरा-10 में विनिर्दिष्ट सूचना के अलावा इस अनुच्छेद के अनुसरण में किए गए अनुरोधों में निम्नलिखित शामिल होगा :

(i) इस पैरा के उप-पैरा (क) (i) से संबंधित उस अनुरोध के मामले में समपहरण की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण और अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जिन तथ्यों के विवरण का आश्रय लिया गया है, को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपनी घरेलू विधि के अंतर्गत आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मानता है;

(ii) उप-पैरा (क) (ii) से संबंधित उस अनुरोध के मामले में जिस पर अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा जारी समपहरण के आदेश की विधिवत अनुज्ञेय प्रति, जिस पर अनुज्ञेय आधारित है, तथ्यों का विवरण और सूचना जिसके संबंध में आदेश के निष्पादन का अनुरोध किया है;

(iii) उप-पैरा (ख) से संबंधित अनुरोध के मामले में जिस पर अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा आश्रय लिया गया है, उन कार्रवाईयों का विवरण जिनका अनुरोध किया गया है।

(ङ) प्रत्येक पक्ष महासचिव को अपनी उन विधियों तथा विनियमों के पाठ की प्रति जो इस पैरा के प्रभावी बनाते हैं और ऐसी विधियों तथा विनियमों में पश्चातवर्ती किन्हीं परिवर्तनों के पाठ की प्रति भेजेगा।

(च) यदि कोई पक्ष इस पैरा के उप-पैरा (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपायों को करने का विकल्प लेता है जो सुसंगत संधि के अस्तित्व की शर्त है, तो वह पक्ष इस अभिसमय को आवश्यक और पर्याप्त संधि आधार के रूप में समझेगा।

(छ) पक्षकार इस अनुच्छेद के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संधियाँ, करार अथवा प्रबन्ध करना चाहेगी।

5. (क) इस अनुच्छेद के पैरा 1 अथवा पैरा 4 के अनुसरण में समपहृत अर्थागम अथवा सम्पति उस पक्ष द्वारा अपनी घरेलू विधि और प्रशासनिक क्रियाविधियों के अनुसार निपटाई जाएगी।

(ख) इस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पक्ष के अनुरोध पर कार्यवाही करते समय कोई पक्ष निम्नलिखित के संबंध में करारों को सम्पन्न करने के संबंध में विशेष ध्यान दे सकेगा:

(i) ऐसे अर्थागमों तथा सम्पति के मूल्य, अथवा ऐसे अर्थागम अथवा सम्पति की बिक्री से प्राप्त निधियों अथवा उसके पर्याप्त भाग को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार तथा दुरुपयोग का सामना करने वाले विशेषज्ञ अन्तर-सरकारी निकायों को अंशदान करना;

(ii) ऐसे अर्थागमों तथा सम्पति, अथवा ऐसे अर्थागम अथवा सम्पति की बिक्री से प्राप्त निधियों को नियमित तौर पर अथवा मामला-दर-मामला आधार पर अपनी घरेलू विधि, प्रशासनिक क्रियाविधियों अथवा इस प्रयोजनार्थ सम्पन्न द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों के अनुसार अन्य पक्षों के साथ बांटना;

6. (क) यदि अर्थागम को अन्य सम्पति में परिवर्तित अथवा संपरिवर्तित कर दिया गया है तो ऐसी सम्पति अर्थागम के बजाय इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट उपायों के प्रतिदायी होगी।

(ख) यदि अर्थागम को वैध स्रोतों से अर्जित सम्पति के साथ मिला लिया गया है तो, सम्पति को जब्ती अथवा रोक लगाने से संबंधित किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शामिल किए गए अर्थागम की कीमत का आकलन करके समपहृत किया जाएगा।

(ग) निम्नलिखित से प्राप्त आय अथवा अन्य लाभ:

(i) अर्थागम;

(ii) वह सम्पति जिसमें अर्थागम को परिवर्तित संपरिवर्तित किया अथवा गया है; अथवा

(iii) वह सम्पति जिसमें अर्थागम को शामिल किया गया है, इस अनुच्छेद में उल्लिखित उपायों के अंतर्गत उसी पद्धति और उसी सीमा तक दायी होगी जिस सीमा तक अर्थागम होगा।

7. प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चय करने के लिए कि समपहरण योग्य अभिकथित अर्थागम अन्य सम्पति के विधिपूर्ण उद्भव के बारे में साक्ष्य के दायित्व पर उसी सीमा तक विचार कर सकता है कि इस प्रकार की कार्रवाई उसकी घरेलू विधि के सिद्धान्तों तथा न्यायिक और अन्य कार्यवाहियों के अनुरूप है।

8. इस अनुच्छेद के उपबंध का अर्थ वास्तविक तीसरे पक्षकारों के वास्तविक अधिकारों के प्रतिकूल नहीं लगाया जाएगा।
9. इस अनुच्छेद की कोई बात इस सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेगी कि वे उपाय जिनको इसमें निर्दिष्ट किया गया है, को उस पक्ष की घरेलू विधि के अनुसार तथा उसके उपबंधों के अध्यक्षीन परिभाषित और कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 6

प्रत्यर्पण

1. यह अनुच्छेद दोनों पक्षकारों द्वारा अनुच्छेद-3, पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए लागू होगा।
2. इन अपराधों में से प्रत्येक अपराध जिनके संबंध में यह अनुच्छेद लागू होता है, को दोनों पक्षों के बीच विद्यमान किसी प्रत्यर्पण संधि में एक प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल किया हुआ समझा जाएगा। दोनों पक्ष उनके बीच सम्पन्न प्रत्येक प्रत्यर्पण संधि में ऐसे अपराधों को प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में शामिल करने का वचन लेते हैं।
3. यदि कोई पक्ष किसी संधि के अस्तित्व में प्रत्यर्पण को शर्त मानता है, उस अन्य पक्ष से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त करता है जिसके साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, तो वह किसी ऐसे अपराध के संबंध में जिस पर यह अनुच्छेद लागू होता है, प्रत्यर्पण के लिए इस अभिसमय को प्रत्यर्पण के लिए कानूनी आधार माना जा सकेगा वे पक्ष जो प्रत्यर्पण के लिए इस अभिसमय का उपयोग करने के उद्देश्य से विस्तृत विधान चाहते हैं, ऐसे विधान के अधिनियमन पर विचार करेंगे, जो आवश्यक हो।
4. वे पक्ष जो किसी संधि की विद्यमानता में प्रत्यर्पण को शर्त नहीं मनाते हैं, वे उन अपराधों को मान्यता देंगे जिनके संबंध में यह अनुच्छेद उनके बीच एक प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में लागू होता है।
5. प्रत्यर्पण उन शर्तों के अध्यक्षीन होगा जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की विधि की शर्तों अथवा लागू प्रत्यर्पण संधियों द्वारा उपबंधित है जिसके अंतर्गत वे आधार भी हैं जिन पर अनुरोधकर्ता पक्ष प्रत्यर्पण के लिए इंकार कर सकता है।
6. इस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष ऐसे अनुरोधों का अनुपालन करने से इंकार कर सकता है जहां उसके न्यायिक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि इसके अनुपालन से उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रियता अथवा राजनीतिक मत की वजह से किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने अथवा दण्ड देने में सुविधा होगी अथवा इस अनुरोध द्वारा किसी व्यक्ति को उन कारणों पर किसी कारण से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
7. पक्षकार प्रत्यर्पण क्रियाविधियों को शीघ्र पूरा करने तथा उस किसी ऐसी अपराध जिसके संबंध में यह अनुच्छेद लागू होता है, की सम्भावित आवश्यकताओं को सरल बनाने का प्रयास करेंगे।
8. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उसकी घरेलू विधि और उसकी प्रत्यर्पण संधियों के उपबंधों के अध्यक्षीन यह यह समाधान होने पर कि उचित परिस्थितियां आवश्यक हैं और अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, और जो उसके राज्यक्षेत्र में अभिरक्षा में उपस्थित है, उस व्यक्ति को ले जा सकेगा अथवा प्रत्यर्पण की कार्यवाहियों के लिए उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय कर सकेगा।

9. (क) अपनी घरेलू विधि के अनुसार स्थापित किसी दंडिक अधिकारिता के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह पक्षकार जिसके राज्य क्षेत्र में तथाकथित अपराधी पाया जाता है : वह अनुच्छेद 4, के पैरा 2 के उप पैरा (क) में दिए आधारों पर अनुच्छेद 3, पैरा 1 के अनुसार घोषित किसी अपराध के संबंध में यदि वह उसका प्रत्यर्पण नहीं करता तो, जब तक कि अनुरोधकर्ता पक्षकार के साथ अन्यथा सहमत नहीं हो अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी सक्षम अधिकारी के पास मुकदमा दर्ज कराएगा ।

(ख) यदि वह ऐसे अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण नहीं करता और अनुच्छेद 4, पैरा 2 उप पैरा (ख) के अनुसार उस अपराध के संबंध में अपनी अधिकारिता स्थापित करता है तो वह अभियोजन के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास तब तक मुकदमा दर्ज कराएगा जब तक कि उसके वैध न्यायाधिकार के संरक्षण हेतु अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा अन्यथा का अनुरोध न किया गया हो ।

10. यदि दण्डादेश को प्रवृत्त कराने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रत्यर्पण से इस कारण इंकार कर दिया जाता है कि अपेक्षित व्यक्ति अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का राष्ट्रिक है, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के आवेदन पर यदि उसकी विधि मंजूरी दे और इस प्रकार की विधि की अपेक्षाओं के अनुरूप अनुरोधकर्ता पक्षकार आवेदन पर अनुरोधकर्ता पक्षकार की विधि के अधीन अधिरोपित दण्डादेश को अथवा बाकी बचे दण्डादेश को प्रवृत्त कराने पर विचार करेगा ।

11. पक्षकार प्रत्यर्पण को निष्पादित करने अथवा उसकी प्रभाविकता में वृद्धि करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते संपन्न करने का प्रयास करेंगे ।

12. पक्षकार दण्डादिष्ट व्यक्तियों के उनके देश को अन्तरण पर और ऐसे अपराधों के लिए जिनको यह अनुच्छेद लागू होता है, समानता से किसी अन्य प्रकार से वंचित रहने पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार पर चाहें वे तदर्थ या सामान्य हो पर विचार कर सकेगा ताकि वे उनकी दण्डादेशों को पूरा कर सकें ।

अनुच्छेद - 7 पारस्परिक विधिक सहायता

इस अनुच्छेद के अनुसरण में पक्षकार, अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार सिद्ध दण्डिक अपराधों के संबंध में जांच, अभियोजनों और न्यायिक कार्यवाहियों में यथा संभव पारस्परिक विधिक सहायता एक दूसरे को प्रदान करेंगे ।

2. इस अनुच्छेद के अनुसार पारस्परिक विधिक सहायता का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है :

- क) व्यक्तियों से साक्ष्य अथवा कथन लेना ;
- ख) न्यायिक दस्तावेजों की तामील करवाना ;
- ग) खोज और जब्त करना
- घ) वस्तुओं और स्थलों की जांच करना ।
- ड.) सूचना और साक्ष्य वस्तुओं को प्रदान करना ;
- च) बैंक, वित्तीय, कॉर्पोरेट अथवा व्यापारिक अभिलेखों सहित सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की मूल अथवा प्रमाणीकृत प्रतियां प्रदान करना ;

- छ) साक्ष्य प्रयोजनों के लिए आगम, संपत्ति, साधनों अथवा अन्य वस्तुओं की पहचान अथवा उनको खोजना ।
3. पक्षकार एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार की पारस्परिक विधिक सहायता का वहन कर सकते हैं जो कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू विधि द्वारा अनुज्ञात हो ।
4. अनुरोध पर पक्षकार घरेलू विधि और पद्धति के अनुरूप गिरफ्तार व्यक्तियों सहित ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति अथवा उपलब्धता की व्यवस्था करेंगे अथवा प्रोत्साहित करेंगे जो जांच में सहायता अथवा कार्यवाहियों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करें ।
5. कोई पक्षकार बैंक गोपनीयता के आधार पर इस अनुच्छेद के अधीन पारस्परिक विधिक सहायता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा ।
6. इस अनुच्छेद के उपबंध किसी अन्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय संधि के अंतर्गत आने वाली बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेंगे जो कि पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता को शासित करती हो अथवा करे ।
7. इस अनुच्छेद के पैरा 8 से 19 इस अनुच्छेद के अनुसरण में किए गए अनुरोधों पर लागू होंगे यदि प्रश्नगत पक्षकार पारस्परिक विधिक सहायता संधि द्वारा बंधे हुए नहीं हों । यदि ये पक्षकार इस प्रकार की संधि द्वारा बंधे हुए हों तो उस संधि के अनुरूप उपबंध लागू होंगे जब तक कि पक्षकार उसके एवज में इस अनुच्छेद के पैरा 8 से 19 लागू करने में अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते ।
8. पक्षकार प्राधिकारी अथवा आवश्यक होने पर प्राधिकारियों को नामोनिदिष्ट करेंगे जिनके पास पारस्परिक विधिक सहायता हेतु अनुरोधों के निष्पादन अथवा उन्हें निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारियों को अंतरित करने का उत्तरदायित्व और शक्ति होगी । इस प्रयोजन के लिए नामोनिदिष्ट प्राधिकारी महासचिव को अधिसूचित किए जाएंगे । पारस्परिक विधिक सहायता के लिए अनुरोधों का अंतरण और उससे संबंधित कोई संचार पक्षकारों द्वारा नामोनिदिष्ट प्राधिकारियों के बीच किया जाएगा; इस अपेक्षा से किसी पक्षकार को इस मांग का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएगा कि इस प्रकार के अनुरोध और संचार उसे राजनयिक चैनल के माध्यम से किए जाएं और अति तत्कालिक परिस्थितियों में जहां पक्षकार सहमत हों, यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के चैनलों के माध्यम से किए जाएं ।
9. अनुरोध लिखित रूप में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को स्वीकार्य भाषा में किए जाएंगे । प्रत्येक पक्षकार को स्वीकार्य भाषा अथवा भाषाएं महासचिव को अधिसूचित की जाएंगी । अति तत्कालिक परिस्थितियों में जहां पक्षकार सहमत हों, अनुरोधों को मौखिक रूप से किया जा सकता है, किंतु उसके पश्चात उनकी पुष्टि लिखित रूप में की जाएगी ।
10. पारस्परिक विधिक सहायता के अनुरोध में निम्नलिखित होगा :
- (क) अनुरोध करने वाले प्राधिकारी की पहचान ;
- (ख) अनुरोध से संबंधित अन्वेषण, अभियोजन अथवा कार्यवाही का विषय और प्रकृति और इस प्रकार के अन्वेषण, अभियोजन तथा कार्यवाही को अंजाम देने वाले प्राधिकारी का नाम और कार्य ;
- (ग) न्यायिक दस्तावेजों की तामील के प्रयोजन के लिए संबंधित अनुरोध को छोड़ते हुए सुसंगत तथ्यों का सारांश ;

- (घ) अपेक्षित सहायता के ब्यौरे और किसी प्रक्रिया विशेष के ब्यौरे जिसका अनुपालन अनुरोधकर्ता पक्षकार करवाना चाहता हो ;
- (ङ.) जहां संभव हो, संबंधित किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति और राष्ट्रीयता ;
- (च) वह प्रयोजन जिसके लिए साक्ष्य, सूचना अथवा कार्यवाई अपेक्षित हो ।
11. अनुरोधकर्ता पक्षकार अपनी घरेलू विधि के अनुसार अथवा जब इस प्रकार का निष्पादन सुविधाजनक हो, अनुरोध के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाली अतिरिक्त सूचना का अनुरोध कर सकता है ।
12. अनुरोध का निष्पादन अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की घरेलू विधि के अनुसार किया जाएगा और उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार की घरेलू विधि का उल्लंघन नहीं हो तथा जहां तक संभव हो, अनुरोध में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जाएगा ।
13. अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना अथवा साक्ष्य का प्रयोग अथवा पारिषण अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की पूर्व सहमति के बिना अनुरोध में उल्लिखित अन्वेषणों, अभियोजनों अथवा कार्यवाहियों से भिन्न अन्य अन्वेषणों, अभियोजनों अथवा कार्यवाहियों के लिए नहीं करेगा ।
14. अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार से यह अपेक्षा रख सकता है कि वह अनुरोध के निष्पादन हेतु आवश्यक सीमा तक अनुरोध के तथ्य और विषय सामग्री को गोपनीय रखे । यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार गोपनीयता की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सके तो अनुरोधकर्ता पक्षकार को तत्काल इसकी सूचना देगा ।
15. पारस्परिक विधिक सहायता से इंकार किया जा सकता है :
- क) यदि अनुरोध इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुरूप नहीं किया गया हो ;
- ख) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह मानता हो कि अनुरोध के निष्पादन से उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, अन्य सार्वजनिक अथवा अनिवार्य हितों को हानि पहुंच सकती है ;
- ग) यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के प्राधिकारियों को अपने घरेलू कानून द्वारा इसी प्रकार के किसी अन्य अपराध के संबंध में कार्यवाई करने से प्रतिबंध किया गया हो जिसकी यदि स्वयं अपनी अधिकारिता के अधीन अन्वेषण अभियोजन अथवा कार्यवाही की गई हो ;
- घ) यदि वह अपेक्षित अनुरोध के लिए पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की विधिक प्रणाली का उल्लंघन हो ।
16. पारस्परिक विधिक सहायता से इंकार करने के कारण दिए जाएंगे ।
17. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा पारस्परिक विधिक सहायता इस आधार पर मुल्तवी की जा सकती है कि वह जारी अन्वेषण, अभियोजन अथवा कार्यवाहियों में रुकावट उत्पन्न कर रही हों । ऐसे मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार के साथ यह निर्धारित करने के लिए परामर्श करेगा कि क्या अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाले निबंधनों और शर्तों पर सहायता इसके बावजूद प्रदान की जा सकती है, अथवा नहीं ।

(iii) इस अभिसमय की सारणी 1 और सारणी 2 में स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी, पदार्थों की गतिविधि और इस प्रकार के अपराधों में प्रयुक्त अथवा प्रयोग के आशय वाले साधन ;

ग) उचित मामलों में, और यदि वह घरेलू विधि का उल्लंघन नहीं हो तो इस पैरा के उपबंधों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों और आपरेशनों की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त दल स्थापित करें। इस प्रकार दलों में माग लेने वाले किसी पक्षकार के पदधारी उस पक्षकार के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत के तौर पर कार्य करेंगे जिस पक्षकार के राज्य क्षेत्र में कार्यवाही को अंजाम दिया जाना है ; इस प्रकार के सभी मामलों में शामिल पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस पक्षकार के राज्य क्षेत्र में कार्यवाही की जानी है उस पक्षकार की संप्रभुता का पूर्ण आदर हो ;

घ) उपयुक्त होने पर विश्लेषणात्मक अथवा अन्वेषण प्रयोजनों के लिए पदार्थों की आवश्यक मात्रा प्रदान करे ;

ड.) उनकी सक्षम अभिकरणों और सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वयन की व्यवस्था करें और जन संपर्क अधिकारियों की तैनाती सहित कार्मिकों और अन्य विशेषज्ञों के आदान प्रदान को बढ़ावा दें।

2. प्रत्येक पक्षकार यथा आवश्यकता सीमाशुल्क सहित अपने विधि प्रवर्तन और अन्य कार्मिकों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ, विकसित करेगा अथवा उनमें सुधार लाएगा जिनमें अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों को दबाना शामिल है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेषरूप से निम्नलिखित शामिल होगा :

क) अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों का पता लगाना और उन्हें दबाना ;

ख) अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों में संलिप्त होने के शक वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त मार्ग और तकनीकें विशेषकर ट्रंजिट राज्यों में, और उपयुक्तरोगी उपाय ;

ग) स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों, और सारणी 1 और 2 में निहित पदार्थों के आयात और निर्यात की निगरानी ;

18. एक गवाह विशेषज्ञ अथवा अन्य व्यक्ति को जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र में किसी कार्यवाही में साक्ष्य देने अथवा किसी अन्वेषण, अभियोजन अथवा न्यायिक कार्यवाही में सहायता करने की सहमति व्यक्त करे, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र से उसके प्रस्थान से पूर्व कार्यो, चूको अथवा बोधसिद्धि के संबंध में उस राज्य क्षेत्र में अभियोजित, कैद, दण्डित नहीं किया जाएगा अथवा उसकी निजी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार का सुरक्षित आचरण समाप्त हो जाएगा जब गवाह, विशेषज्ञ अथवा न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा यह सूचित किए जाने की तारीख से लगातार पन्द्रह दिन अथवा पक्षकारों द्वारा सहमत अवधि बीत जाने तक कि अब उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, उसके पास लौटने का अवसर है, वह फिर भी स्वेच्छा से उस राज्य क्षेत्र में है, या जाने के बाद फिर स्वयं अपनी इच्छा से लौट आया हो।

19. किसी अनुरोध के निष्पादन की सामान्य लागतों का भुगतान अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं व्यक्त की गई हो। यदि अनुरोध की पूर्ति हेतु पर्याप्त अथवा असामान्य प्रकृति के व्यय हों अथवा पूर्ति करना अपेक्षित हो तो पक्षकार उन निबंधनों और शर्तों के निर्धारण हेतु परामर्श करेंगे जिनके अधीन अनुरोध का निष्पादन किया जाएगा तथा यह भी कि लागत का वहन किस प्रकार होगा।

20. पक्षकार यथा आवश्यकता उन द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करारों अथवा व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर विचार करेंगे जो इस अनुच्छेद के उपबंधों को व्यावहारिक रूप से लागू करने अथवा उनके संवर्द्धन का प्रयोजन सिद्ध करे।

अनुच्छेद - 8

कार्यवाहियों का अंतरण

पक्षकार उन मामलों में अनुच्छेद 3, पैरा 1 के अनुसार घोषित अपराधों के आपराधिक अभियोजन के लिए कार्यवाहियों को एक दूसरे को अंतरित करने पर विचार करेंगे जिन मामलों में इस प्रकार के अंतरण को उपयुक्त न्याय प्रशासन के हित में माना जाए।

अनुच्छेद - 9

सहयोग और प्रशिक्षण के अन्य स्वरूप

1. पक्षकार अनुच्छेद 3, पैरा 1 के अनुसार घोषित आपराधिक कृत्यों को दबाने और विधि प्रवर्तन करने की प्रभाविता के संवर्द्धन के दृष्टिकोण से अपनी अपनी घरेलू, विधिक और प्राशासनिक प्रणालियों के अनुरूप एक दूसरे के साथ निकटता से सहयोग करेंगे। वे विशेषकर द्विपक्षीय अथवा बहु पक्षीय करारों अथवा व्यवस्थाओं के आधार पर :

क) सूचना के सुरक्षित और द्रुत आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सक्षम अभिकरणों और सेवाओं के बीच संचार चैनल स्थापित करेंगे और उनका अनुक्षण करेंगे। यदि संबंधित पक्षकार इसे उपयुक्त माने, अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ संपर्क को शामिल करते हुए अनुच्छेद 3 पैरा 1 अनुसार स्थापित अपराधों के सभी पक्षों के संबंध में ;

ख) अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के अपराधों के संबंध में जांच करने में एक दूसरे के साथ निम्नलिखित से संबंधित सहयोग :

(i) अनुच्छेद 3 पैरा 1 के अनुसार स्थापित अपराधों में शामिल होने के शक वाले व्यक्तियों की पहचान, अवस्थिति और गतिविधियां ;

(ii) इस प्रकार के अपराधों से प्राप्त आगम अथवा संपत्ति संबंधित गतिविधियां ;

(घ) इससे प्राप्त आगम तथा सम्पति, और स्वापक औषधियों, मनः प्रभावी पदार्थों और सारणी 1 और सारणी 2 में दिए गए पदार्थों तथा इसमें प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त किए जाने की मंशा वाले साधनों, अनुच्छेद-3, पैरा-1 के अनुसार स्थापित अपराधों को प्रारम्भ करने की खोज करना और उसे मॉनीटर करना;

(ङ) ऐसी आगम, सम्पति तथा साधनों के अन्तरण, गुप्त रखने या छिपाने के लिए प्रयुक्त तरीके;

(च) साक्ष्यों का संग्रहण;

(छ) मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त बन्दरगाहों पर नियंत्रण तकनीक;

(ज) आधुनिक विधि प्रवर्तन तकनीक;

3. पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैरा-2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्राप्त विशेषज्ञता के लिए तैयार किए गए अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना तथा कार्यान्वयन को एक-दूसरे के साथ बांटने में सहयोग करेंगे और इसके लिए, जब भी उपयुक्त होगा, परस्पर हित-चिन्ताओं से सम्बद्ध समस्याओं को मार्गस्थ राज्यों की विशेष समस्याओं तथा आवश्यकताओं सहित सहयोग और प्रेरक विचारों को संवर्द्धित करने के लिए क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संगोष्ठियां करेंगे।

अनुच्छेद - 10

मार्गस्थ राज्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायता

1. पक्षकार मार्गस्थ राज्यों की सहायता और समर्थन के लिए सीधे अथवा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, विशेषरूप से ऐसी सहायता और समर्थन की आवश्यकता वाले विकासशील देशों के लिए यथासम्भव निषेधादेश तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करेंगे।

2. पक्षकार सीधे अथवा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से अवैध व्यापार को रोकने तथा उसके प्रभावकारी नियंत्रण के लिए आवश्यक आधारसंरचना को संवर्द्धित तथा सुदृढ़ करने के प्रयोजन के लिए ऐसे मार्गस्थ राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

3. पक्षकार इस अनुच्छेद के अनुसरण में द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार सम्पन्न करेंगे अथवा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावकारिता को संवर्द्धित करने की व्यवस्था करेंगे तथा इस सम्बन्ध में वित्तीय प्रबन्धों को ध्यान में रखेंगे।

अनुच्छेद - 11

नियंत्रित सुपुर्दगी

1. पक्षकार अनुच्छेद-3 पैरा-1 के अनुसार स्थापित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित सुपुर्दगी के उपयुक्त प्रयोग के लिए अनुमति देने के लिए, यदि उनकी अपनी-अपनी विधि प्रणालियों के आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा अनुज्ञात होगा, अपनी संभाव्यताओं के भीतर आवश्यक उपाय करेंगे।

2. नियंत्रित परिदान के प्रयोग के विनिश्चय मामला-दर-मामला आधार पर किए जाएंगे और जब आवश्यक हो उनमें संबंधित पक्षकारों द्वारा अधिकारिता के प्रयोग के संबंध में वित्तीय व्यवस्थाओं और समझौतों को ध्यान में रख सकेगा ।

3. अवैध परेषण, जिनका नियंत्रित परिदान करने की सहमति हुई है, संबंधित पक्षकारों की सहमति से अवरूद्ध कर दिया जाएगा और स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों को उसी प्रकार बनाए रखे जाने अथवा पूर्णतया या अशतः हटा ने या बदलने की अनुमति दी सकेगी ।

अनुच्छेद - 12

स्वापक औषधियों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण में लगातार प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ

1. दोनों पक्षकार स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त तालिका-I और तालिका-II में वर्णित पदार्थों के अपयोजन को रोकने के लिए ऐसे उपाय करेंगे, जो वे उचित समझें और इसके लिए एक-दूसरे को सहयोग करेंगे ।

2. यदि एक पक्षकार अथवा बोर्ड के पास ऐसी सूचना है, जो उनकी राय में, तालिका-I अथवा तालिका-II में किसी पदार्थ को सम्मिलित करने की अपेक्षा करती हो तो वह महासचिव को सूचित करेगा और उस सूचना के समर्थन में उसे वह जानकारी भेजेगा । इस अनुच्छेद के पैरा-2 से 7 में वर्णित प्रक्रिया तब भी लागू होगी जब कोई पक्षकार अथवा बोर्ड के पास तालिका-I अथवा तालिका-II से किसी पदार्थ को हटाने अथवा एक तालिका से दूसरी तालिका में किसी पदार्थ के अन्तरण के लिए तर्कसंगत सूचना हो ।

3. महासचिव, ऐसी अधिसूचना, और ऐसी अन्य सूचना को, जिसे वह सुसंगत समझता है, पक्षकारों को, आयोग को भेजेगा और जहां अधिसूचना किसी पक्षकार द्वारा दी गई हो, वहाँ बोर्ड को देगा । पक्षकार अधिसूचना से सम्बद्ध अपनी टिप्पणियां, सभी अनुपूरक सूचना के साथ महासचिव को देंगे, जिससे बोर्ड को निर्धारण करने में और आयोग को निर्णय पत्र पत्र करने में सहायता मिल सकेगी ।

4. यदि बोर्ड, स्वापक औषधियां अथवा मनः प्रभावी पदार्थों का वैध प्रयोजनों तथा अवैध विनिर्माण दोनों में पदार्थों के वैध उपयोग की मात्रा, महत्व और विविधता अथवा वैकल्पिक पदार्थों के प्रयोग की सम्भावना तथा सुगमता को ध्यान में रखते हुए यह पाता है ;

(क) कि पदार्थ का स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण में लगातार उपयोग हो रहा है ।

(ख) कि स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण का परिमाण और मात्रा जन स्वास्थ्य अथवा सामाजिक समस्याओं के लिए स्वापक औषधियों गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो वह पदार्थ के निर्धारण को, पदार्थ को अवैध प्रयोग और अवैध विनिर्माण, दोनों के संबंध में, तालिका-I या तालिका-II सम्मिलित करने के संभावी प्रभाव सहित, ऐसे निगरानी संबंधी उपायों की सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, जो उसके निर्धारण की दृष्टि से उपयुक्त हो, आयोग को भेजेगा ।

5. आयोग, दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियां तथा बोर्ड की, जिसका निर्धारण वैज्ञानिक मामलों में निर्धारक होगा, टिप्पणियों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, तथा अन्य, किसी सुसंगत तथ्य पर भी सम्यक रूप से विचार करते हुए, अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पदार्थ को तालिका-I अथवा तालिका-II में रखने का विनिश्चय कर सकेगा।

6. इस अनुच्छेद के अनुसरण में आयोग द्वारा किया गया कोई विनिश्चय, महासचिव द्वारा सभी राज्यों तथा अन्य इकाइयों को सम्प्रेषित किया जाएगा, जो इस अभिसमय अथवा बोर्ड के पक्षकार हैं, अथवा बनने के हकदार हैं। ऐसा विनिश्चय सूचना मिलने की तारीख के एक सौ अस्सी दिन के पश्चात प्रत्येक पक्षकार के लिए पूर्णतः प्रभावी हो जाएगा।

7. (क) इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा किए गए विनिश्चय, इन विनिश्चयों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात एक सौ अस्सी दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा दाखिल अनुरोध पर परिषद द्वारा पुनर्विलोकन के अधीन होंगे। पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध, सभी सुसंगत सूचनाओं के साथ, जिन पर पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध आधारित होगा, महासचिव को भेजा जाएगा।

(ख) महासचिव पुनरीक्षण के लिए अनुरोध और सुसंगत सूचना की प्रतियों को आयोग, बोर्ड और सभी पक्षकारों को भेजकर नब्बे दिनों के भीतर उनको टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। सभी प्राप्त टिप्पणियों को परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) परिषद, आयोग के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे बदल सकेगा। परिषद के विनिश्चय की अधिसूचना उन सभी राज्यों और अन्य इकाइयों को, जो इस अभिसमय, आयोग और बोर्ड के पक्षकार हैं, अथवा जो इसके पक्षकार बनने के हकदार हैं, को भेजी जाएगी।

8. (क) इस अनुच्छेद के दायरे में अवर्षित उपबंधों और 1961 के अभिसमय, यथासंशोधित 1961 के अभिसमय और 1971 के अभिसमय के उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, पक्षकार तालिका-I और तालिका-II में दिए गए पदार्थों, जो उनके क्षेत्रों के भीतर तैयार किए जाते हैं, के विनिर्माण और वितरण को मॉनीटर करने के लिए ऐसे उपाय करेंगे, जो वे उचित समझें।

(ख) इस उद्देश्य से, इसके पक्षकार;

(i) ऐसे पदार्थों के विनिर्माण और वितरण में लगे हुए सभी व्यक्तियों और उद्यमों को नियंत्रित कर सकेंगे;

(ii) उन स्थापनों और परिसरों को, जिनमें ऐसे विनिर्माण अथवा वितरण हो सकते हैं, अनुज्ञप्ति के अधीन नियंत्रित कर सकेंगे;

(iii) उपरोक्त संक्रियाओं को करने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों परफिट से लेने की अपेक्षा कर सकेंगे;

(iv) व्यापार और विद्यमान विपणन परिस्थितियों के सामान्य संचालन के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक ऐसे पदार्थों को विनिर्माताओं तथा वितरकों के कब्जे में एकत्रित होने से रोक सकेंगे;

9. प्रत्येक पक्षकार तालिका-I और तालिका-II में वर्णित पदार्थों की बाबत निम्नलिखित उपाय करेंगे:-

(क) संदिग्ध संवयवहारों का पता लगाने को सुकर बनाने के लिए तालिका-। और तालिका-॥ में वर्णित पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखने की प्रणाली को स्थापित करना और उसे बनाए रखना । ऐसी निगरानी की प्रणालियां, विनिर्माताओं, आयातकर्त्ताओं, निर्यातकर्त्ताओं, थोक व्यापारियों तथा खुदरा व्यापारियों के साथ निकट सहयोग से लागू की जाएंगी जो संदिग्ध आदेशों तथा स्वयंवहारों के विषय में सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करेंगे ।

(ख) यदि स्वापक औषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण में प्रयोग के लिए तालिका-। अथवा तालिका-॥ में से किसी पदार्थ के होने के पर्याप्त साक्ष्य हों तो उसके अभिग्रहण लिए उपबंध करना ।

(ग) यदि यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि तालिका-। और तालिका-॥ में वर्णित किसी पदार्थ का आयात, निर्यात अथवा अभिवहन स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण के लिए नियत है, जिसमें विशेष रूप से भुगतान के तरीकों और किसी अन्य अनिवार्य तथ्य के विषय में ऐसी सूचना, जो विश्वास को दृढ़ करती हो, सम्मिलित है, तो उसके विषय में सम्बन्धित पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों अथवा सेवाओं को यथासंभव शीघ्र सूचित करना ।

(घ) यह अपेक्षा करना कि आयातों और निर्यात पर उचित प्रकार से लेबल लगा हो और वे प्रलेखित हों । वाणिज्यिक दस्तावेज जैसे कि बीजक, माल-सूची, सीमा-शुल्क, परिवहन तथा अन्य नौवहन दस्तावेजों में आयात अथवा निर्यात किए जा रहे पदार्थों के नाम जैसा कि तालिका-। अथवा तालिका-॥ में दिए गए हैं और आयात अथवा निर्यात की जा रही मात्रा तथा निर्यातकर्त्ता, आयातकर्त्ता का नाम और पता, जब उपलब्ध हो, प्रेषिती के नाम भी शामिल होंगे ।

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि इस पैरा के उप पैरा (घ) में निर्दिष्ट दस्तावेज कम से कम दो वर्ष की अवधि तक रखे जाएं और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएं ।

10. (क) पैरा 9 के उपबंधों के अतिरिक्त, और इच्छुक पक्षकार द्वारा महासचिव को किए गए अनुरोध पर, प्रत्येक पक्षकार, जिसके क्षेत्र से तालिका-। के पदार्थ को निर्यात किया जाना है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से पूर्व, उसके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, आयातकर्त्ता देश के सक्षम प्राधिकारियों को निम्नलिखित सूचना भेज दी जाए:

- (i) निर्यातकर्त्ता और आयातकर्त्ता और जब उपलब्ध हों, प्रेषिती का नाम और पता;
- (ii) तालिका-। में वर्णित पदार्थ का नाम;
- (iii) निर्यात किए जाने वाले पदार्थ की मात्रा;
- (iv) प्रवेश का सम्भावित स्थान और प्रेषण की सम्भावित तारीख;
- (v) दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत की गई कोई अन्य सूचना ।

(ख) कोई पक्षकार, इस पैरा में दिए गए नियंत्रण के उपायों से भिन्न अधिक कठोर अथवा प्रचण्ड उपाय अपना सकता है, यदि उसके विचार से ऐसे उपाय, वांछनीय अथवा अनिवार्य हों ।

11. इस अनुच्छेद के पैरा 9 और 10 के अनुसार जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को सूचना देता है तब ऐसी सूचना भेजने वाला पक्षकार यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे प्राप्त करने वाला पक्षकार किसी व्यापार, कारबार, वाणिज्यिक, अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया को गोपनीय रखे ।

12. प्रत्येक पक्षकार हर वर्ष बोर्ड को, उसके द्वारा उपबंधित प्ररूप और रीति में और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्ररूपों में, निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा :-

(क) तालिका-। और तालिका-॥ में दिए गए पदार्थों की अभिगृहीत मात्रा और यदि ज्ञान हो तो उसका स्रोत;

(ख) तालिका-। अथवा तालिका-॥ में शामिल न किया गया ऐसा कोई पदार्थ, जिसका स्वापक औषधियों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध विनिर्माण में प्रयोग किए जाने के बारे में पता चला है और जिसे पक्षकार द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाया जाना पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण समझा गया है;

(ग) अपयोजन और अवैध विनिर्माण के ढंग;

13. बोर्ड इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन के संबंध में आयोग को हर वर्ष रिपोर्ट देगा और आयोग तालिका-। और तालिका-॥ की पर्याप्तता और उपयुक्तता का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा ।

14. इस अनुच्छेद के उपबंध औषधि विनिर्मितियों पर लागू नहीं होंगे, न ही तालिका-। और तालिका-॥ में निहित पदार्थों वाली अन्य विनिर्मितियों पर लागू होंगे, जो इस तरह से मिश्रित किए जाते हैं कि ऐसे पदार्थ तत्काल प्रयोज्य तरीकों द्वारा सहजरूप से प्रयोग अथवा पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते ।

अनुच्छेद - 13 सामग्री और उपस्कर

पक्षकार, स्वापक औषधियों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए सामग्रियों और उपस्कर के व्यापार और अपयोजन को रोकने के लिए ऐसे उपाय करेंगे, जो वे उचित समझें और इसके लिए सहयोग देंगे ।

अनुच्छेद - 14 स्वापक पौधों की अवैध खेती का उन्मूलन करना और स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करना

1. पक्षकार इस अभिसन्ध के अनुसरण में किया गया कोई उपाय 1961 के अभिसमय, यथासंशोधित 1961 के अभिसमय और 1971 के अभिसमय के उपबंधों के अधीन स्वापक औषधियों तथा मनः प्रभावी पदार्थों वाले पौधों की अवैध खेती का उन्मूलन करेगा और स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करने के संबंध में लागू उपबंधों से कम कठोर नहीं होंगे ।

2. प्रत्येक पक्षकार, अपने क्षेत्र में अफीम, पोस्त, कोक झाड़ और भांग के पौधों जैसे स्वापक अथवा मनः प्रभावी पदार्थों वाले पौधों की अवैध खेती को रोकने और पौधों के उन्मूलन के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे । किए गए उपायों से मूल मानवाधिकारों का सम्मान होगा और उनमें परम्परागत विधिप्रामाण्य प्रयोगों के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा ।

3. (क) पक्षकार उन्मूलन के प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकेंगे । ऐसे सहयोग में, अन्य बातों के साथ-साथ, एकीकृत ग्राम्य विकास के लिए ऐसी सहायता जो अवैध कृषि का आर्थिक रूप से साध्य विकल्प बन सके, जब भी उपयुक्त हो, देना शामिल किया जा सकेगा ।

ऐसे ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले बाजारों तक पहुँच, संसाधनों की उपलब्धता और विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । पक्षकार, सहयोग के किसी अन्य उपयुक्त उपाय पर भी सहमत हो सकते हैं ।

(ख) पक्षकार, उन्मूलन से सम्बन्धित वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान और उन्मूलन संबंधी अनुसंधान किए जाने को भी सुकर बनाएंगे ।

(ग) जहां भी उनके सीमान्त क्षेत्र संयुक्त हों, वहां पक्षकार, इन सीमान्त क्षेत्रों के साथ लगे अपने-अपने क्षेत्रों में उन्मूलन कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे ।

4. पक्षकार, मानव वेदना को कम करके और अवैध व्यापार के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का उन्मूलन करने की दृष्टि से, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करने अथवा उनमें कमी लाने के प्रति लक्षित समुचित उपाय करेंगे । ये उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ अभिकरणों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, और अन्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सिफारिशों पर, तथा निवारण, उपचार एवं पुनर्वास के क्षेत्रों में निजी प्रयासों, सार्वजनिक एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से यथा-सम्बद्ध और 1987 में औषध दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा अंगीकृत व्यापक बहु-आयामी रूपरेखा पर आधारित हो सकते हैं । पक्षकार, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध मांग को समाप्त करने अथवा घटाने के प्रति लक्षित द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार या समझौते कर सकेंगे ।

5. अभिगृहीत की गई अथवा जब्त की गई स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा तालिका-I एवं तालिका-II में वर्णित पदार्थों को शीघ्र नष्ट किए जाने अथवा कानूनी ढंग से निस्तारण किए जाने के लिए और ऐसे पदार्थों की विधिवत् प्रमाणित आवश्यक मात्रा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में आवश्यक उपाय भी कर सकेंगे ।

अनुच्छेद - 15 वाणिज्यिक वाहक

1. पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे कि वाणिज्यिक वाहकों द्वारा संचालित परिवहन के साधनों का प्रयोग अनुच्छेद -3, पैरा-1 के अनुसार सिद्ध अपराधों को करने के लिए न किया जाए; ऐसे उपायों में वाणिज्यिक वाहकों के साथ विशेष समझौते किया जाना शामिल है ।

2. प्रत्येक पक्षकार, वाणिज्यिक वाहकों से ये अपेक्षा करेगा कि वे, उनके परिवहन के साधनों का प्रयोग अनुच्छेद-3, पैरा-1 में किए जाने से रोकने के लिए वे उचित पूर्वावधानियां बरतें । ऐसी पूर्वावधानियों में निम्नलिखित उपाय शामिल हो सकते हैं -

(क) यदि किसी वाणिज्यिक वाहक के कारबार का प्रधान स्थल, पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर है तो:

- (i) सन्देशास्पद परेषणों अथवा व्यक्तियों की पहचान के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना;
- (ii) कार्मिकों की निष्ठा को बढ़ावा देना;
- (ख) यदि कोई वाणिज्यिक वाहक, पक्षकार के राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हो तो -
 - (i) कार्गो का विवरण, जहां भी संभव हो, अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना;
 - (ii) आधानों पर रद्दो-बदल रोधी, वैयक्तिक रूप से सत्यापित की जा सकने वाली मुद्राओं का प्रयोग करना;
 - (iii) अनुच्छेद-3, पैरा-1 के अनुसार सिद्ध अपराध घोषित कृत्य से संभावित रूप से जुड़ी सभी सन्देशास्पद परिस्थितियों की सूचना शीघ्रातिशीघ्र सक्षम प्राधिकारियों को देना ।

3. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वाणिज्यिक वाहक और प्रवेश एवं निकास स्थलों पर तथा अन्य सीमा शुल्क नियंत्रण क्षेत्रों में तैनात सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहयोग करें ताकि परिवहन के साधनों और कार्गो तक अनधिकृत पहुँच को रोका जा सके तथा समुचित सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकें ।

अनुच्छेद - 16

वाणिज्यिक दस्तावेज और निर्यात सामग्री पर लेबल लगाना

1. प्रत्येक पक्षकार यह अपेक्षा करेगा कि स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विधिसम्मत निर्यातों को समुचित रूप से प्रलेखबद्ध किया जाए । 1961 के अभिसमय के अनुच्छेद-31, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय के अनुच्छेद-31 और 1971 के अभिसमय के अनुच्छेद-12 के अधीन प्रलेखन की अपेक्षाओं के अतिरिक्त बीजकों, कार्गो सूचियों, सीमाशुल्क, परिवहन एवं अन्य नौवहन दस्तावेजों जैसे वाणिज्यिक दस्तावेजों में निर्यात किए जा रहे स्वापक स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के नाम, जैसा कि 1961 के अभिसमय, 1961 के यथासंशोधित अभिसमय और 1971 के अभिसमय की संबंधित अनुसूचियों में वर्णित है; निर्यात की मात्रा, निर्यातकर्ता आयातकर्ता और यदि जब उपलब्ध हो तो, परेषिती का नाम और पता शामिल होता ।
2. प्रत्येक पक्षकार यह अपेक्षा करेगा कि निर्यात की जा रही स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों पर जल्द लेबल न लगाया जाए ।

अनुच्छेद - 17

समुद्र मार्ग से अवैध व्यापार

1. पक्षकार, समुद्र मार्ग द्वारा किए जाने वाले अवैध व्यापार का दमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि के अनुरूप अधिकतम सम्भव सीमा तक सहयोग करेंगे ।
2. ऐसा कोई पक्षकार, जिसके पास यह सन्देह करने के पर्याप्त आधार हैं कि ऐसा कोई जलयान, जिस पर पर उसका झण्डा फहरा रहा है या जिस पर कोई झण्डा या रजिस्ट्रीकरण चिन्ह संप्रदर्शित नहीं है, वह अवैध व्यापार में संलिप्त है अपने ध्वज के उस उद्देश्य हेतु प्रयोग को रोकने के लिए अन्य पक्षकारों की

सहायता मांग सकता है। इस प्रकार अनुरोध किया गया पक्षकार, अपने पास उपलब्ध साधनों की सीमा में देसी सहायता देगा।

3. ऐसा कोई पक्षकार, जिसके पास यह सन्देह करने के पर्याप्त आधार हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप नौकायन की स्वतन्त्रता प्राप्त और किसी दूसरे पक्षकार का ध्वज लगाए हुए अथवा रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रदर्शित कर रहा कोई जलयान किसी अवैध व्यापार में संलिप्त है तो वह ध्वज वाले राज्य को उसकी सूचना देगा, रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि का अनुरोध करेगा और यदि पुष्टि हो जाती है तो ध्वज वाले राज्य से यह अनुरोध करेगा कि वह, उस जलयान के संबंध में समुचित कदम उठाने का प्राधिकार उसे दे।

4. ध्वजवाला राज्य, पैरा-3 के अनुसार अथवा उनके बीच प्रवृत्त किसी संधि के अनुसार अथवा उन पक्षकारों के बीच अन्यथा हुए किसी करार या समझौते के अनुसार, अनुरोधकर्ता राज्य को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्राधिकार दे सकता है कि वह -

(क) जलयान पर चढ़ सकता है;

(ख) जलयान की तलाशी ले सकता है;

(ग) यदि अवैध व्यापार में संलिप्तता का साक्ष्य पाया जाता है तो उस जलयान के, व्यक्तियों के और उस पर लदे स्थोरा के संबंध में समुचित कार्रवाई कर सकता है।

5. जहां इस अनुच्छेद के अनुसरण में कार्रवाई की जाती है वहां सम्बन्धित पक्षकार इस बात की जरूरत पर उचित ध्यान देंगे कि समुद्र में जीवों की सुरक्षा को, जलयान और स्थोरा की सुरक्षा को खतरा न पहुँचे और न ही ध्वज से जुड़े राज्य के अथवा किसी अन्य हितबद्ध राज्य के वाणिज्यिक और विधिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

6. ध्वज वाला राज्य, इस अनुच्छेद के पैरा-1 में अपनी बाध्यताओं के अनुरूप अपना प्राधिकार, अपने और अनुरोधकर्ता राज्य के बीच परस्पर सहमत शर्तों के अधीन कर सकता है; जिसके अन्तर्गत जिम्मेदारी से जुड़ी शर्तें भी हैं।

7. इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए कोई भी पक्षकार, किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त अनुरोध पर और पैरा -3 के अनुसरण में प्राधिकार देने के लिए किए गए अनुरोध पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए यह निर्धारित करेगा कि उसका ध्वज फहराने वाला जहाज, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है या नहीं।

8. इस अभिसमय का पक्षकार बनने के समय, प्रत्येक पक्षकार ऐसे अनुरोधों को प्राप्त करने और प्रत्युत्तर देने के लिए किसी प्राधिकारी अथवा आवश्यक होने पर प्राधिकारियों को पदाभिहित करेगा। ऐसे पदाभिहित किए जाने संबंधी अधिसूचना, पदाभिहित किए जाने के एक मास के अन्दर, महासचिव के माध्यम से अन्य सभी पक्षों को दी जाएगी।

9. वह पक्षकार जिसने इस अनुच्छेद के अनुसार कोई कार्रवाई की है, तुरन्त ही सम्बन्धित ध्वज राज्य को, उस कार्रवाई के परिणामों की सूचना देगा।

10. इस अनुच्छेद के पैरा-4 के अनुसरण में कार्रवाई केवल युद्धक जहाजों अथवा सैन्य वायुयानों अथवा स्पष्ट रूप से चिह्नानकित और सरकारी सेवा पर होने की पहचान कराने योग्य एवं इस आशय के लिए प्राधिकृत अन्य जहाजों अथवा वायुयानों द्वारा ही की जाएगी ।

11. इस अनुच्छेद के अनुसार में की गई कोई कार्रवाई करते समय इस आवश्यकता का उचित ध्यान रखा जाएगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री विधि के अनुसार तटवर्ती राज्यों के अधिकारों और बाध्यताओं तथा अधिकारिता के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप अथवा प्रभाव न पड़े ।

अनुच्छेद - 18

मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा मुक्त पत्तन

1. पक्षकार, मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त समुद्रपत्तनों में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के तथा तालिका-I एवं तालिका-II में शामिल पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऐसे कड़े उपाय लागू करेंगे जो कि उनके राज्य क्षेत्रों के अन्य हिस्सों में लागू उपायों से कम कड़े न हों ।

2. पक्षकार निम्नलिखित का प्रयास करेंगे -

(क) मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा मुक्त समुद्रपत्तनों में माल और व्यक्तियों की आवाजाही की निगरानी करना और इस दिशा में सक्षम प्राधिकारियों को मनोरंजनार्थ जहाजों एवं मत्स्य जलयानों सहित कार्गो और आने जाने वाले जलयान की तलाशी के साथ-साथ वायुयान एवं वाहनों की तलाशी लेने और जहां उपयुक्त हो वहां चालक दल के सदस्यों, यात्रियों और उनके सामानों की भी तलाशी लेने के लिए सशक्त बनाएंगे ।

(ख) मुक्त व्यापार क्षेत्रों एवं मुक्त समुद्रपत्तनों से होकर आने या जाने वाले ऐसे परेषणों का जिनमें स्वापक, औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ तथा तालिका-I एवं तालिका-II में शामिल पदार्थ होने का संदेह हो, पता लगाने की प्रणाली स्थापित करना और उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना ।

(ग) मुक्त व्यापार क्षेत्रों एवं मुक्त समुद्रपत्तनों में स्थित सीमा नियंत्रण स्थलों एवं हवाई अड्डों पर तथा बन्दरगाह एवं जेटी क्षेत्रों में निगरानी प्रणालियां स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करना ।

अनुच्छेद - 19

डाक व्यवस्था का प्रयोग

1. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अभिसमयों के अधीन अपनी बाध्यताओं की पुष्टि स्वरूप और अपनी देशीय विधिक प्रणालियों के आधारभूत सिद्धान्तों के अनुरूप, पक्षकार, डाक व्यवस्था का अवैध व्यापार में प्रयोग किए जाने को रोकने के लिए उपाय करेंगे और इस दिशा में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे ।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 में निर्दिष्ट उपायों में विशिष्टरूप से निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे -

(क) अवैध व्यापार के लिए डाक व्यवस्था का प्रयोग किए जाने से रोकने और इसके निवारण के लिए समन्वित कार्रवाई करना;

(ख) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों तथा तालिका-1 और तालिका-11 में शामिल पदार्थों का डाक द्वारा अवैध परेषण किए जाने का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई अन्वेषणात्मक और नियंत्रण तकनीकों को लागू करना और प्राधिकृत विधि प्रवर्तन कार्मिकों द्वारा उनका रख-रखाव किया जाना;

(ग) न्यायिक कार्यवाहियों के लिए अपेक्षित साक्ष्य जुटाने के लिए समुचित साधनों के प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए विधायी उपाय करना ।

अनुच्छेद - 20

पक्षकारों द्वारा दी जाने वाली जानकारी

1. पक्षकार अपने-अपने राज्यक्षेत्र में इस अभिसमय के कार्यकरण के बारे में, और विशेष रूप से, निम्नलिखित के बारे में, महासचिव के माध्यम से आयोग को जानकारी देंगे :

(क) अभिसमय को प्रभावी करने की दृष्टि से प्रख्यापित की गई विधियों एवं विनियमों के पाठ;

(ख) अपनी अधिकारिता के भीतर अवैध व्यापार के ऐसे मामलों के विवरण, जिन्हें वे प्रकट हुई नई प्रवृत्तियों शामिल मात्रा, वह स्रोत, जहां से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं अथवा इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा अपनाए जा रहे तौर-तरीके के कारण महत्वपूर्ण समझते हैं ।

2. पक्षकार, उक्त सूचना इस तरीके से और उस तारीख तक प्रस्तुत करेंगे जो आयोग ने अनुरोध किया हो ।

अनुच्छेद - 21

आयोग के कृत्य

आयोग इस अभिसमय के उद्देश्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर और खास तौर से निम्नलिखित पर विचार करने के लिए प्राधिकृत है :

(क) आयोग, अनुच्छेद-20 के अनुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर इस अभिसमय के प्रचालन की समीक्षा करेगा;

(ख) आयोग, पक्षकारों से प्राप्त सूचना की जांच के आधार पर अपने सुझाव दे सकेगा और सामान्य सिफारिशें भी कर सकेगा ;

(ग) आयोग, ऐसे किन्हीं मामलों के बारे में बोर्ड का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो कि बोर्ड के कृत्यों से सुसंगत हों;

(घ) आयोग, अनुच्छेद-22 के पैरा-1 (ख) के अधीन बोर्ड द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए किसी मामले पर ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह उचित समझे;

(ङ) आयोग, अनुच्छेद-12 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुरूप आयोग तालिका-1 एवं तालिका-11 में संशोधन कर सकेगा;

(च) आयोग, इस अभिसमय के अधीन स्वयं द्वारा अंगीकृत विनिश्चयों और सिफारिशों पर गैर-पक्षकारों का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित कर सकता है कि वे उनके अनुरूप कार्रवाई करने पर विचार करें।

अनुच्छेद - 22

बोर्ड के कृत्य

1. अनुच्छेद-21 के अधीन आयोग के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और 1961 के अभिसमय, 1961 के यथा संशोधित अभिसमय और 1971 के अभिसमय के अधीन बोर्ड एवं आयोग के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना -

(क) यदि अपने पास, महासचिव के पास अथवा आयोग के पास उपलब्ध सूचना की जांच अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के घटकों द्वारा भेजी गई सूचना की जांच के आधार पर बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बोर्ड की सक्षमता से जुड़े मामलों में इस अभिसमय के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो बोर्ड, किसी पक्षकार या पक्षकारों को कोई सुसंगत जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर सकता है;

(ख) अनुच्छेद 12, 13, एवं 16 के संबंध में :

(i) इस अनुच्छेद के उप पैरा (क) के अधीन कार्रवाई करने के बाद बोर्ड का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह संबंधित पक्षकारों से ऐसे उपचारात्मक उपाय करने का आह्वान कर सकता है जो कि अनुच्छेद 12, 13, एवं 16 के उपबंधों के निष्पादन के लिए उन परिस्थितियों में जरूरी समझे जाएं;

(ii) नीचे उप पैरा (iii) के अधीन कार्रवाई करने से पहले, बोर्ड, पिछले उप-पैराओं के अधीन संबंधित पक्षकार के साथ किए गए अपने पत्र व्यवहार को गोपनीय रखेगा।

(iii) यदि बोर्ड यह पाता है कि संबंधित पक्षकार ने ऐसे कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए हैं, जिन्हें लिए आह्वान उससे, इस उप-पैरा के अधीन किया गया था तो वह इस बारे में पक्षकारों का, परिषद का और अयोग का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस उप-पैरा के अधीन बोर्ड द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट में, संबंधित पक्षकार का मत भी दिया जाएगा, यदि वह ऐसा किए जाने का अनुरोध करे।

2. किसी पक्षकार को बोर्ड की ऐसी बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिसमें कि इस अनुच्छेद के अधीन उसके प्रत्यक्ष हित वाले किसी प्रश्न पर विचार किया जाता हो।

3. यदि किसी दशा में, बोर्ड द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन अंगीकृत निर्णय सर्वसम्मत नहीं है तो अल्पमत सदस्यों के विचारों का उल्लेख किया जाएगा।

4. इस अनुच्छेद के अधीन बोर्ड के विनिश्चय, बोर्ड की कुल संख्या के दो-तिहाई बहुमत से किए जाएंगे।

5. बोर्ड, इस अनुच्छेद के उप-पैरा (क) के अनुसरण में अपने कृत्यों को पूरा करते हुए, अपने पास पहुँची समस्त जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

6. इस अनुच्छेद के अधीन बोर्ड का उत्तरदायित्व इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार पक्षकारों के बीच संपन्न संधियों या करारों के क्रियान्वयन के प्रति लागू नहीं होगा ।

7. इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 32 के उपबंधों के अधीन आने वाले पक्षकारों के बीच के विवादों के बारे में लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 23 बोर्ड की रिपोर्टें

1. बोर्ड अपने कार्यों को उसके पास उपलब्ध सूचना का एक विश्लेषण समाविष्ट करते हुए तथा, उपयुक्त मामलों में, स्पष्टीकरणों का यदि कोई जो पक्षकारों द्वारा दिये गये हो या हों, जिनकी अपेक्षा की गई हो, जो लेखा जोखा किन्हीं टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ, जिन्हें बोर्ड देना चाहता है, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा । बोर्ड ऐसी अतिरिक्त रिपोर्टें तैयार कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है । ये रिपोर्टें कमीशन के माध्यम से परिषद को प्रस्तुत की जाएंगी जो इस प्रकार की टिप्पणियां दे सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझता है ।

2. बोर्ड की रिपोर्टें पक्षकारों को संसूचित की जाएंगी और तत्पश्चात् महासचिव द्वारा उन्हें प्रकाशित कराया जाएगा । पक्षकार उनके अप्रतिबंधित वितरण की अनुमति देंगे ।

अनुच्छेद - 24 इस अभिसमय द्वारा अपेक्षित उपायों से अधिक कठोर उपायों का उपयोग

कोई पक्षकार इस अभिसमय द्वारा उपबंधित उपायों से अधिक कठोर या कड़े उपाय अपना सकता है, यदि उसकी राय में, ऐसे उपाय अवैध व्यापार को रोकने या उसका दमन करने के लिए वांछनीय या आवश्यक हैं ।

अनुच्छेद - 25 पूर्ववर्ती संधि अधिकारों और बाध्यताओं का अनाल्पीकरण

इस अभिसमय के उपबंध 1961 के अभिसमय 1961 यथा संशोधित अभिसमय और 1971 के अभिसमय के अधीन इस अभिसमय के पक्षकारों द्वारा उपयोग किए गए किन्हीं अधिकारों अथवा धारण की गई बाध्यताओं को अल्पीकृत नहीं करेंगे ।

अनुच्छेद - 26 हस्ताक्षर

यह अभिसमय वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में 20 दिसंबर, 1996 से 28 फरवरी, 1989 तक तथा उसके पश्चात् न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 20 दिसंबर, 1989 तक निम्नलिखित हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा :

(क) सभी राज्यों ;

(ख) नामीबिया, जिसका प्रतिनिधित्व नामीबिया संबंधी संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा किया जाता है ।

(ग) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जो इस अभिसमय के अंतर्गत आने वाले मामलों में अन्तरराष्ट्रीय करारों के पराक्रमण, समापन और लागू किए जाने के संबंध में सक्षम है, इस अभिसमय के अधीन पक्षकारों, राज्यों या इन संगठनों को लागू होने वाली सेवाओं के प्रति निर्देश उनकी क्षमता की सीमाओं के अधीन होगा ।

अनुच्छेद - 27
अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या औपचारिक पुष्टि का कृत्य

1. यह अभिसमय राज्यों और नामीबिया, जिसका प्रतिनिधित्व नामीबिया संबंधी संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा किया जाता है, के अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अध्यक्षीन और अनुच्छेद 26 के उप पैरा (ग) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय आर्थिक स्वीकरण संगठनों के औपचारिक पुष्टि के कृत्यों के अध्यक्षीन है। अनुसमर्थन स्वीकृति और अनुमोदन के और औपचारिक पुष्टि के कृत्यों के अध्यक्षीन है। अनुसमर्थन स्वीकृति और अनुमोदन के और औपचारिक पुष्टि के कृत्यों से संबंधित विलेख महासचिव के पास जमा किए जाएंगे।
2. औपचारिक पुष्टि के अपने अपने दस्तावेजों में, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा घोषित करेंगे। ये संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा में किसी उपेक्षितरण के बारे में भी महासचिव को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 28
अंगीकरण

1. यह अभिसमय किसी राज्य, नामीबिया, जिसका प्रतिनिधित्व नामीबिया, संबंधी संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 26, उप पैरा (ग) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए खुला रहेगा। अंगीकार पत्र महासचिव के पास अंगीकरण के एक दस्तावेज के जमा करने पर प्रभावी होगा।
2. अपने अंगीकार पत्रों में, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा को घोषित करेंगे। ये संगठन इस अभिसमय द्वारा प्रशासित मामलों के संबंध में अपनी अपनी सक्षमता की सीमा में किसी उपांतरण के बारे में भी महासचिव को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 29
प्रवर्तन

1. यह अभिसमय राज्यों या नामीबिया जिसका प्रतिनिधित्व नामीबिया संबंधी परिषद द्वारा किया जाता है द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अंगीकरण के बीसवें लिखत महासचिव के जमा करने की तारीख के पश्चात नब्बेवें दिन को प्रवृत्त होगा।
2. ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए या नामीबिया जिसका प्रतिनिधित्व नामीबिया संबंधी परिषद द्वारा किया जाता है के लिए जो अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अंगीकरण संबंधी बीसवीं लिखत में किए जाने के पश्चात उसको अनुसमर्थित, स्वीकृत, अनुमोदित या अंगीकृत करता है, यह अभिसमय अनुसमर्थन, स्वीकृत, अनुमोदन या अंगीकरण संबंधी लिखत के जमा किए जाने की तारीख के पश्चात नब्बेवें दिन को प्रवृत्त होगा।
3. अनुच्छेद 26, उप पैरा(ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के लिए, जो औपचारिक पुष्टिकरण के कृत्य से संबंधित लिखत या अंगीकार पत्र जमा करता है यह अभिसमय ऐसे जमा करने के पश्चात नब्बेवें दिन को या इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख को, इनमें से जो भी बाद की हो, प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद - 30
प्रत्यास्थान

1. कोई भी पक्षकार, इस अभिसमय को किसी समय, महासचिव को संबोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा प्रत्यास्थान कर सकता है।

2. ऐसा प्रत्यास्थान संबंधित पक्षकार के संबंध में महासचिव द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष पश्चात प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद - 31 संशोधन

1. कोई भी पक्षकार इस अभिसमय में कोई संशोधन प्रस्तावित कर सकता है । ऐसे किसी संशोधन का पाठ और उसके कारण उस पक्षकार द्वारा महासचिव को संप्रेषित किए जाएंगे, जो उन्हें अन्य पक्षों को संप्रेषित करेगा और उनसे यह पूछेगा कि क्या वे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं। यदि इस प्रकार परिचालित प्रस्तावित संशोधन इसके परिचालित किए जाने के पश्चात चौबीस माह के भीतर किसी पक्षकार द्वारा जायज नहीं किया गया हो तो, उसे स्वीकृत माना जाएगा और उस पक्ष द्वारा उस संशोधन से बाध्य होने की अपनी स्वीकृति करने संबंधी लिखत महासचिव के पास जमा करने के पश्चात ऐसे पक्षकार के संबंध में नब्बे दिन पश्चात प्रवृत्त होगा ।

2. यदि कोई प्रस्तावित संशोधन किसी पक्षकार द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो महासचिव पक्षों के साथ परामर्श करेगा और यदि बहुमत ऐसा अनुरोध करता है, तो वह मामले को उसे पक्षों द्वारा की गई किन्हीं टिप्पणियों सहित परिषद के समक्ष लाएंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62, पैरा 4 के अनुसार एक सम्मेलन आहूत करने का फैसला कर सकेगी । ऐसे किसी सम्मेलन के फलस्वरूप किसी संशोधन को संशोधन संबंधी एक प्रोटोकोल में सम्मिलित किया जाएगा । ऐसे किसी प्रोटोकोल से बाध्य होने की सहमति को महासचिव के पास अभिव्यक्त रूप से व्यक्त किया जाना अपेक्षित होगा ।

अनुच्छेद - 32 विवादों का निपटारा

1. यदि इस अभिसमय के निर्वचन या लागू किए जाने के संबंध में दो या अधिक पक्षकारों के बीच काइ विवाद उत्पन्न होगा, तो पक्षकार विवाद के निपटारे को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ वार्ता, पूछताछ, बीच-बचाव, सुलह, माध्यस्थता के द्वारा, क्षेत्रीय निकाओं, न्यायिक प्रक्रिया अथवा अपने विकल्प के अन्य शांतिपूर्ण साधनों का सहारा लेकर परामर्श करेंगे ।

2. ऐसा कोई विवाद जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में विहित रीति से नहीं सुलझाया जा सकता है, विवाद के राज्य पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

3. यदि अनुच्छेद 26, उप पैरा (ग) में निर्दिष्ट कोई क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन ऐसे किसी विवाद का एक पक्षकार है जिसका इस अनुच्छेद के पैरा 1 में विहित रीति से समाधान नहीं हो सकता है, तो वह संयुक्त राष्ट्र के किसी राज्य सदस्य के जरिए न्यायालय के परिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक सलाहकारी राय का अनुरोध करने के लिए परिषद से अनुरोध कर सकता है, ऐसी राय निर्णायक के रूप में मानी जाएगी।

4. प्रत्येक राज्य, हस्ताक्षर के या इस अभिसमय के अनसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन या इसके अंगीकरण के समय पर या प्रत्येक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, हस्ताक्षर करने या औपचारिक पुष्टिकरण के एक कृत्य को जमा करने या उसके अंगीकरण के समय यह घोषित कर सकता है कि वह इस अनुच्छेद के पैरा 2 और 3 के प्रति अपने आपको बाध्य नहीं समझता है। अन्य पक्षकार ऐसी घोषणा करने वाले किसी पक्षकार के संबंध में पैरा 2 और 3 के प्रति बाध्य नहीं होंगे।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार घोषणा करने वाला कोई पक्षकार महासचिव को अधिसूचना द्वारा घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है।

अनुच्छेद - 33 अधिप्रमाणित पाठ

इस अभिसमय के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषायों के पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं।

अनुच्छेद - 34 जमाकर्ता

महासचिव इस अभिसमय का जमाकर्ता होंगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरी ने इसके सम्यक रूप से प्राधिकृत होते हुए, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज तारीख 20 दिसंबर, 1988 को इसकी मूल प्रति पर वियना में हस्ताक्षर किए गए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, अध्याय 3 के सिवाय उपरोक्त अभिसमय में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इटली के लिए लागू होंगे।

[फा. सं. टी-413/13/2003]

बी. ए. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 4th September, 2003

G.S.R. 707(E).— Whereas the Government of India and the Government of Italy are Parties to the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, (hereinafter referred to as the convention) which came into force on 11 November 1990 in accordance with Article 29 (1);

WHEREAS Article 3 of the Convention sets forth the offences created thereunder;

WHEREAS Article 6 of the Convention makes those offences extraditable;

WHEREAS in the absence of a bilateral extradition treaty the Convention provides a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in Article 3;

WHEREAS the Government of India and the Government of Italy do not have any bilateral extradition treaty currently operative;

WHEREAS sub-section (4) of section 3 of the Indian Extradition Act 1962 confers power on the Central Government to treat any Convention to which India and a foreign State are Parties, as an extradition treaty made by India with that foreign State providing for extradition in respect of the offences specified in that Convention, by notified order; and

WHEREAS the text of the 1988 United Nations Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances provides as follows;

**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE**

as adopted by the Conference at its 6th plenary meeting, on 19 December 1988

THE PARTIES to this Convention.

DEEPLY CONCERNED by the magnitude of and rising trend in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and adversely affect the economic, cultural and political foundations of society,

DEEPLY CONCERNED ALSO by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an illicit drug

consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity,

RECOGNIZING the links between illicit traffic and other related organized criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the stability, security and sovereignty of States,

RECOGNIZING ALSO that illicit traffic is an international criminal activity, the suppression of which demands urgent attention and the highest priority,

AWARE that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels,

DETERMINED to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing,

DESIRING to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, including the illicit demand for such drugs and substances and the enormous profits derived from illicit traffic,

CONSIDERING that measures are necessary to monitor certain substances, including precursors, chemicals and solvents, which are used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances,

DETERMINED to improve international co-operation in the suppression of illicit traffic by sea,

RECOGNIZING that eradication of illicit traffic is a collective responsibility of all States and that, to that end, co-ordinated action within the framework of international co-operation is necessary,

ACKNOWLEDGING the competence of the United Nations in the field of control of narcotic drugs and psychotropic substances and desirous that the international organs concerned with such control should be within the framework of that Organization,

REAFFIRMING the guiding principles of existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances and the system of control which they embody,

RECOGNIZING the need to reinforce and supplement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1953, that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1953, and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, in order to counter the magnitude and extent of illicit traffic and its grave consequences,

RECOGNIZING ALSO the importance of strengthening and enhancing effective legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing the international criminal activities of illicit traffic,

DESIRING to conclude a comprehensive, effective and operative international convention that is directed specifically against illicit traffic and that considers the various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envisaged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic substances,

HEREBY AGREE as follows:

Article 1

Definitions

Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout this Convention:

- (a) "Board" means the International Narcotics Control Board established by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (b) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis;
- (c) "Coca bush" means the plant of any species of the genus Erythroxylon;
- (d) "Commercial carrier" means any person or any public, private or other entity engaged in transporting persons, goods or mails for remuneration, hire or any other benefit;
- (e) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council of the United Nations;
- (f) "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;
- (g) "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or suspect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II annexed to this Convention, or substances substituted for them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention;
- (h) "1961 Convention" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

- (i) "1961 Convention as amended" means the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (j) "1971 Convention" means the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- (k) "Council" means the Economic and Social Council of the United Nations;
- (l) "Freezing" or "seizure" means temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court a competent authority;
- (m) "Illicit traffic" means the offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of this Convention;
- (n) "Narcotic drug" means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- (o) "Opium poppy" means the plant of the species *Papaver somniferum* L.;
- (p) "Proceeds" means any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1;
- (q) "Property" means assets of every kind, whether corporal or in corporal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;
- (r) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- (s) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;
- (t) "Table I" and "Table II" mean the correspondingly numbered lists of substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 12;
- (u) "Transit State" means a State through the territory of which illicit narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II are being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate destination thereof.

Article 2

Scope of the Convention

1. The purpose of this Convention is to promote co-operation among the Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimension. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take necessary measures, including legislative and administrative measures, in conformity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative systems.
2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.
3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic law.

Article 3

Offences and sanctions

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally:
 - (a) (i) The production, manufacture, extraction, preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention;
 - (ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as amended;
 - (iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in (i) above;
 - (iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;
 - (v) The organization, management or financing of any of the offences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above;
- (b) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this

paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences;

(c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences;

(ii) The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances;

(iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly;

(iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counseling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971 Convention.

3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

4. (a) Each Party shall make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation.

(b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the offender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration.

(c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropriate cases of a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punishment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as well as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare.

(d) The Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, education, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender.

5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this article particularly serious, such as:

(a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender belongs;

(b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities;

(c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of the offence;

(d) The use of violence or arms by the offender;

(e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with the office in question;

(f) The victimization or use of minors;

(g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which school children and students resort for educational, sports and social activities;

(h) Prior conviction particularly for similar offences, whether foreign domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party.

6. The Parties shall endeavor to ensure that any discretionary legal powers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences established in accordance with this article are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

7. The Parties shall ensure that their courts or other competent authorities bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph 1 of this article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

8. Each Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with paragraph 1 of this article, and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.

9. Each Party shall take appropriate measures, consistent with its legal system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, who is found within its territory, is present at the necessary criminal proceedings.

10. For the purpose of co-operation among the Parties under this Convention, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 and 9, offences established in accordance with this article shall not be considered as fiscal offences or as political offences or regarded as politically motivated, without prejudice to the constitutional limitations and the fundamental domestic law of the Parties.

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the description of the offences to which it refers and of legal defences thereto is reserved to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted and punished in conformity with that law.

Article 4

Jurisdiction

1. Each Party:

(a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when:

(i) The offence is committed in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft which is registered under its laws at the time the offence is committed;

(b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when:

(i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who has his habitual residence in its territory;

(ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that Party has been authorized to take appropriate action pursuant to article 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the basis of agreements or arrangements referred to in paragraphs 4 and 9 of that article;

(iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, paragraph 1, subparagraph (c) (iv), and is committed outside its territory with a view to the

commission, within its territory, of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party:

(a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party on the ground:

- (i) That the offence has been committed in its territory or on board a vessel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at the time the offence was committed; or
- (ii) That the offence has been committed by one of its nationals;

(b) May also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party.

3. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic law.

Article 5

Confiscation

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds derived from offences established in accordance with article 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Narcotic drugs and psychotropic substances, materials and equipment or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to enable its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article, for the purpose of eventual confiscation.

3. In order to carry out the measures referred to in this article, each Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the

Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall:

(i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such order is granted, give effect to it; or

(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by the requesting Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it relates to proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested party.

(b) Following a request made pursuant to this article by another Party having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting Party or, pursuant to a request under subparagraph (a) of this paragraph, by the requested Party.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party.

(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable *mutatis mutandis*. In addition to the information specified in article 7, paragraph 10, requests made pursuant to this article shall contain the following:

(i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (i) of this paragraph, a description of the property to be confiscated and a statement of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a) (ii), a legally admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting Party upon which the request is based, a statement of the facts and information as to the extent to which the execution of the order is requested;

(iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of the facts relied upon by the requesting Party and a description of the actions requested.

(e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of its laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of any subsequent changes to such laws and regulations.

(f) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence of a relevant treaty, that Party shall consider this Convention as the necessary and sufficient treaty basis.

(g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article.

5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to paragraph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures.

(b) When acting on the request of another Party in accordance with this article, a Party may give special consideration to concluding agreements on:

(i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, or a substantial part thereof, to intergovernmental bodies specializing in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances;

(ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds or property, or funds derived from the sale of such proceeds or property, in accordance with its domestic law, administrative procedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this purpose.

6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

(b) If proceeds have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

(c) Income or other benefits derived from:

(i) Proceeds;

(ii) Property into which proceeds have been transformed or converted; or

(iii) Property with which proceeds have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds.

7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provision of the domestic law of a Party.

Article 6

Extradition

1. This article shall apply to the offences established by the Parties in accordance with article 3, paragraph 1.
2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offence in every extradition treaty to be concluded between them.
3. If a Party makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies. The Parties which require detailed legislation in order to use this Convention as a legal basis for extradition shall consider enacting such legislation as may be necessary.
4. The Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds upon which the requested Party may refuse extradition.
6. In considering requests received pursuant to this article, the requested State may refuse to comply with such requests where there are substantial grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of his race, religion, nationality or political opinions, or would cause prejudice for any of those reasons to any person affected by the request.
7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.
8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.

9. Without prejudice to the exercise of any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law, a Party in whose territory an alleged offender is found shall:

(a) If it does not extradite him in respect of an offence established in accordance with article 3, paragraph 1, on the grounds set forth in article 4, paragraph 2, subparagraph (a), submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting Party;

(b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has established its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, paragraph 2, subparagraph (b), submit the case to its competent authorities for the purpose of

prosecution, unless otherwise requested by the requesting Party for the purposes of preserving its legitimate jurisdiction.

10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party shall, if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the remainder thereof.

11. The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements, whether ad hoc or general, on the transfer to their country of persons sentenced to imprisonment and other forms of deprivation of liberty for offences to which this article applies, in order that they may complete their sentences there.

Article 7

Mutual legal assistance

1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to criminal offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

(a) Taking evidence or statements from persons;

(b) Effecting service of judicial documents;

(c) Executing searches and seizures;

(d) Examining objects and sites;

- (e) Providing information and evidentiary items;
 - (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including bank, financial, corporate or business records;
 - (g) Identifying or tracing proceeds, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes.
3. The Parties may afford one another any forms of mutual legal assistance allowed by the domestic law of the requested Party.
4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent consistent with their domestic law and practice, the presence or availability of persons, including persons in custody, who consent to assist in investigations or participate in proceedings.
5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this article on the ground of bank secrecy.
6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance in criminal matters.
7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If these Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 of this article in lieu thereof.
8. Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual legal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution. The authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the Secretary-General. Transmission of requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be effected between the authorities designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that such requests and communications be addressed to it through the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, through channels of the International Criminal Police Organization, if possible.
9. Requests shall be made in writing in a language acceptable to the requested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be notified to the Secretary-General. In urgent circumstances, and where agreed by the Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.
10. A request for mutual legal assistance shall contain:
- (a) The identity of the authority making the request;

(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or proceeding to which the request relates, and the name and the functions of the authority conducting such investigation, prosecution or proceeding;

(c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the purpose of service of judicial documents;

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure the requesting Party wishes to be followed;

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned;

(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

11. The requested Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.

13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested Party.

14. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

15. Mutual legal assistance may be refused:

(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;

(b) If the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, other public or other essential interests;

(c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

16. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.

17. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting Party to determine if the assistance can still be given subject to such terms and conditions as the requested Party deems necessary.

18. A witness, expert or other person who consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially informed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, having left it, has returned of his own free will.

19. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

20. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this article.

Article 8

Transfer of proceedings

The Parties shall give consideration to the possibility of transferring to one another proceedings for criminal prosecution of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be in the interests of a proper administration of justice.

Article 9

Other forms of co-operation and training

1. The Parties shall co-operate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, with a view to enhancing the effectiveness of law enforcement action suppress the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. They shall, in particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrangements:

(a) Establish and maintain channels of communication between their competent agencies an services to facilitate the secure and rapid exchange of information

concerning all aspects of offences established in accordance with article 3, paragraph 1, including, if the Parties concerned deem it appropriate, links, with other criminal activities;

(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an international character, concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(ii) The movement of proceeds or property derived from the commission of such offences;

(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in Table I and Table II of this Convention and instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;

(c) In appropriate cases and if not contrary to domestic law, establish joint teams, taking into account the need to protect the security of persons and of operations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party taking part in such teams shall act as authorized by the appropriate authorities of the Party in whose territory the operation is to take place; in all such cases, the Parties involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the operation is to take place is fully respected;

(d) Provide, when appropriate, necessary quantities of substances for analytical or investigative purposes;

(e) Facilitate effective co-ordination between their competent agencies and services and promote the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers.

2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement and other personnel, including customs, charged with the suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such programmes shall deal, in particular, with the following:

(a) Methods used in the detection and suppression of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(b) Routes and techniques used by persons suspected of being involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, particularly in transit States, and appropriate counter-measures;

(c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II;

(d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and property derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II, and instrumentalities used or intended for use in, the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1;

(e) Methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property and instrumentalities;

(f) Collection of evidence;

(g) Control techniques in free trade zones and free ports;

(h) Modern law enforcement techniques.

3. The Parties shall assist one another to plan and implement research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropriate, use regional and international conferences and seminars to promote co-operation and stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.

Article 10

International co-operation and assistance for transit States

1. The Parties shall co-operate, directly or through competent international or regional organizations, to assist and support transit States and, in particular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent possible, through programmes of technical co-operation on interdiction and other related activities.

2. The Parties may undertake, directly or through competent international or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effective control and prevention of illicit traffic.

3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to this article and may take into consideration financial arrangements in this regard.

Article 11

Controlled delivery

1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, to allow for the appropriate use of controlled delivery at the international level, on the basis of agreements or arrangements mutually consented to, with a view to identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, paragraph 1, and to taking legal action against them.

2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties concerned.
3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the Parties concerned, be intercepted and allowed to continue with the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in whole or in part.

Article 12

Substances frequently used in the illicit Manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances

1. The Parties shall take the measures they deem appropriate to prevent diversion of substances in Table I and Table II used for the purpose of illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall co-operate with one another to this end.
2. If a Party or the Board has information which in its opinion may require the inclusion of a substance in Table I or Table II, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of that notification. The procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from Table I or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other.
3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where notification is made by a Party, to the Board. The Parties shall communicate their comments concerning the notification to the Secretary-General, together with all supplementary information which may assist the Board in establishing an assessment and the Commission in reaching a decision.
4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of the licit use of the substance, and the possibility and ease of using alternate substances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, finds:
 - (a) That the substance is frequently used in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance;
 - (b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance creates serious public health or social problems, so as to warrant international action, it shall communicate to the Commission an assessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropriate in the light of its assessment.
5. The Commission, taking into account the comments submitted by the Parties and the comments and recommendations of the Board, whose assessment shall be

determinative as to scientific matters, and also taking into due consideration any other relevant factors, may decide by a two-thirds majority of its members to place a substance in Table I or Table II.

6. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention and to the Board. Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hundred and eighty days after the date of such communication.

7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one hundred and eighty days after the date of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General, together with all relevant information upon which the request for review is based.

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Parties, inviting them to submit their comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration.

(c) The Council may confirm or reverse the decision of the Commission. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States and other entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to the Commission and to the Board.

8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contained in paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the measures they deem appropriate to monitor the manufacture and distribution of substances in Table I and Table II which are carried out within their territory.

(b) To this end, the Parties may:

(i) Control all persons and enterprises engaged in the manufacture and distribution of such substances;

(ii) Control under license the establishment and premises in which such manufacture or distribution may take place;

(iii) Require that licensees obtain a permit for conducting the aforesaid operations;

(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of manufacturers and distributors, in excess of the quantities required for the normal conduct of business and the prevailing market conditions.

9. Each Party shall, with respect to substances in Table I and Table II, take the following measures:

(a) Establish and maintain a system to monitor international trade in substances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious transactions. Such monitoring systems shall be applied in close co-operation with manufacturers, importers, exporters, wholesalers and retailers, who shall inform the competent authorities of suspicious orders and transactions.

(b) Provide for the seizure of any substance in Table I or Table II if there is sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of a narcotic drug or psychotropic substance.

(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and services of the Parties concerned if there is reason to believe that the import, export or transit of a substance in Table I or Table II is destined for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about the means of payment and any other essential elements which led to that belief.

(d) Require that imports and exports be properly labelled and documented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names, as stated in Table I or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity being imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

(e) Ensure that documents referred to in subparagraph (d) of this paragraph are maintained for a period of not less than two years and may be made available for inspection by the competent authorities.

10. (a) In addition to the provisions of paragraph 9, and upon request to the Secretary-General by the interested Party, each Party from whose territory a substance in Table I is to be exported shall ensure that, prior to such export, the following information is supplied by its competent authorities to the competent authorities of the importing country:

(i) Name and address of the exporter and importer and, when available, the consignee;

(ii) Name of the substance in Table I;

(iii) Quantity of the substance to be exported;

(iv) Expected point of entry and expected date of dispatch;

(v) Any other information which is mutually agreed upon by the Parties.

(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those provided by this paragraph if, in its opinion, such measures are desirable or necessary.

11. Where a Party furnishes information to another Party in accordance with paragraph 9 and 10 of this article, the Party furnishing such information may require that the Party

receiving it keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or trade process.

12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner provided for by it and on forms made available by it, information on:

(a) The amounts seized of substances in Table I and Table II and, when known, their origin;

(b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and which is deemed by the Part to be sufficiently significant to be brought to the attention of the Board;

(c) Methods of diversion and illicit manufacture.

13. The Board shall report annually to the Commission on the implementation of this article and the Commission shall periodically review the adequacy and propriety of Table I and Table II.

14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical preparations, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II that are compounded in such a way that such substances cannot be easily used or recovered by readily applicable means.

Article 13

Materials and equipment

The Parties shall take such measures as they deem appropriate to prevent trade in and the diversion of materials and equipment for illicit production or manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and shall co-operate to this end.

Article 14

Measures to eradicate illicit cultivation of narcotic plants and to eliminate illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances

1. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be less stringent than the provisions applicable to the eradication of illicit cultivation of plants containing narcotic and psychotropic substances and to the elimination of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

2. Each Party shall take appropriate measures to prevent illicit cultivation of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as opium poppy, coca bush and cannabis plants, cultivated illicitly in its territory. The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due account of traditional licit

uses, where there is historic evidence of such use, as well the protection of the environment.

3.-(a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of eradication efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appropriate, for integrated rural development leading to economically viable alternatives to illicit cultivation.

Factors such as access to markets, the availability of resources and prevailing socio-economic conditions should be taken into account before such rural development programmes are implemented. The Parties may agree on any other appropriate measures of co-operation.

(b) The Parties shall also facilitate the exchange of scientific and technical information and the conduct of research concerning eradication.

(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-operate in eradication programmes in their respective areas along those frontiers.

4. The Parties shall adopt appropriate measures aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances, with a view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit traffic. These measures may be based, inter alia, on the recommendations of the United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World Health Organization, and other competent international organizations, and on the Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to governmental and non-governmental agencies and private efforts in the fields of prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances.

5. The Parties may also take necessary measures for early destruction or lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II which have been seized or confiscated and for the admissibility as evidence of duly certified necessary quantities of such substances.

Article 15

Commercial carriers

1. The Parties shall take appropriate measures to ensure that means of transport operated by commercial carriers are not used in the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1; such measures may include special arrangements with commercial carriers.

2. Each Party shall require commercial carriers to take reasonable precautions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. Such precautions may include:

(a) If the principal place of business of a commercial carrier is within the territory of the Party:

(i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons;

(ii) Promotion of integrity of personnel;

(b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party:

(i) Submission of cargo manifests in advance, whenever possible;

(ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on containers;

(iii) Reporting to the appropriate authorities at the earliest opportunity all suspicious circumstances that may be related to the commission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1.

3. Each Party shall seek to ensure that commercial carriers and the appropriate authorities at points of entry and exit and other customs control areas cooperate, with a view to preventing unauthorized access to means of transport and cargo and to implementing appropriate security measures.

Article 16

Commercial documents and labelling of exports

1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psychotropic substances be properly documented. In addition to the requirements for documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other shipping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic substances being exported as set out in the respective Schedules of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when available, the consignee.

2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psychotropic substances being exported be not mislabelled.

Article 17

Illicit traffic by sea

1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to suppress illicit traffic by sea, in conformity with the international law of the sea.

2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may request the

assistance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The Parties so requested shall render such assistance within the means available to them.

3. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercising freedom of navigation in accordance with international law and flying the flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, request authorization from the flag State to take appropriate measures in regard to that vessel.

4. In accordance with paragraph 3 or in accordance with treaties in force between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State to, inter alia:

a) Board the vessel;

b) Search the vessel;

c) If evidence of involvement in illicit traffic is found, take appropriate action with respect to the vessel, persons and cargo on board.

5. Where action is taken pursuant to this article, the Parties concerned shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the security of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal interests of the flag State or any other interested State.

6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this article, subject its authorization to conditions to be mutually agreed between it and the requesting Party, including conditions relating to responsibility.

7. For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this article, a Party shall respond expeditiously to a request from another Party to determine whether a vessel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made pursuant to paragraph

3. At the time of becoming a Party to this Convention, each Party shall designate an authority or, when necessary, authorities to receive and respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secretary-General to all other Parties within one month of the designation.

8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall promptly inform the flag State concerned of the results of that action.

9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of this article.

2530 GI/03-8

10. Action pursuant to paragraph 4 of this article shall be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

11. Any action taken in accordance with this article shall take due account of the need not to interfere with or affect the rights and obligations and the exercise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of the sea.

Article 18

Free trade zones and free ports

1. The Parties shall apply measures to suppress illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in free trade zones and in free ports that are not less stringent than those applied in other parts of their territories.

2. The Parties shall endeavour:

(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and free ports, and, to that end, shall empower the competent authorities to search cargoes and incoming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing vessels, as well as aircraft and vehicles and, when appropriate, to search crew members, passengers and their baggage;

(b) To establish and maintain a system to detect consignments suspected of containing narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II passing into or out of free trade zones and free ports;

(c) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports.

Article 19

The use of the mails

1. In conformity with their obligations under the Conventions of the Universal Postal Union, and in accordance with the basic principles of their domestic legal systems, the Parties shall adopt measures to suppress the use of the mails for illicit traffic and shall co-operate with one another to that end.

2. The measures referred to in paragraph 1 of this article shall include, in particular:

(a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the mails for illicit traffic;

(b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement personnel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments of narcotic drugs, psychotropic substances in Table I and Table II in the mails;

c) Legislative measures to enable the use of appropriate means to secure evidence required for judicial proceedings.

Article 20

Information to be furnished by the Parties

1. The Parties shall furnish, through the Secretary-General, information to the Commission on the working of this Convention in their territories and, in particular:

(a) The text of laws and regulations promulgated in order to give effect to the Convention;

(b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the sources from which the substances are obtained, or the methods employed by persons so engaged.

2. The Parties shall furnish such information in such a manner and by such dates as the Commission may request.

Article 21

Functions of the Commission

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention and, in particular:

(a) The Commission shall, on the basis of the information submitted by the Parties in accordance with article 20, review the operation of this Convention;

(b) The Commission may make suggestions and general recommendations based on the examination of the information received from the Parties;

(c) The Commission may call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;

(d) The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under article 22, paragraph 1 (b), take such action as it deems appropriate;

(e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in article 12, amend Table I and Table II;

(f) The Commission may draw the attention of non-Parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 22

Functions of the Board

1. Without prejudice to the functions of the Commission under article 21, and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention:

(a) If, on the basis of its examination of information available to it, to the Secretary-General or to the Commission, or of information communicated by United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Convention in matters related to its competence are not being met, the Board may invite a Party or Parties to furnish any relevant information;

(b) With respect to articles 12, 13 and 16:

(i) After taking action under subparagraph (a) of this article, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of articles 12, 13 and 16;

(ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confidential its communications with the Party concerned under the preceding subparagraphs;

(iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken remedial measures which it has been called upon to take under this subparagraph, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. Any report published by the Board under this subparagraph shall also contain the views of the Party concerned if the latter so requests.

2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question of direct interest to it is to be considered under this article.

3. If in any case a decision of the Board which is adopted under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

4. Decisions of the board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.

5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1 (a) of this article, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may come into its possession.

6. the Board's responsibility under this article shall not apply to the implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accordance with the provisions of this Convention.

7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between Parties falling under the provisions of article 32.

Article 23

Reports of the Board

1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an analysis of the information at its disposal and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. The Board may make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be submitted to the Council through the Commission which may make such comments as it sees fit.

2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 24

Application of stricter measures than those required by this Convention

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or suppression of illicit traffic.

Article 25

Non-derogation from earlier treaty rights and obligations

The provisions of this Convention shall not derogate from any rights enjoyed or obligations undertaken by Parties to this Convention under the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention.

Article 26

Signature

This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Vienna, from 20 December 1988 to 28 February 1989, and thereafter at the Headquarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by:

(a) All States;

(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia;

(c) Regional economic integration organizations which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention, references under the Convention to Parties, States or national services being applicable to these organizations within the limits of their competence.

Article 27

Ratification, acceptance, approval or act of formal confirmation

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and to acts of formal confirmation by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). The instruments of ratification, acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be deposited with the Secretary-General.

2. In their instruments of formal confirmation, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 28

Accession

1. This Convention shall remain open for accession by any State, by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by regional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph (c). Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

2. In their instruments of accession, regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of any modification in the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention.

Article 29

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or by Namibia, represented by the Council for Namibia.

2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. for each regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal confirmation or an instrument of accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later.

Article 30

Denunciation

1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General.
2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 31

Amendments

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and shall ask them whether they accept the proposed amendment. If a proposed amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has deposited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound by that amendment.
2. If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-General shall consult with the Parties and, if a majority so requests, he shall bring the matter, together with any comments made by the Parties, before the Council which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations. Any amendment resulting from such a Conference shall be embodied in a Protocol of Amendment. Consent to be bound by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-General.

Article 32**Settlement of disputes**

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.
2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision.
3. If a regional economic integration organization referred to in article 26, subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot be settled in the manner prescribed in paragraph 1 of this article, it may, through a State Member of the United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the International Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court, which opinion shall be regarded as decisive.
4. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, or each regional economic integration organization, at the time of signature or deposit of an act of formal confirmation or accession, may declare that it does not consider itself bound by paragraphs 2 and 3 of this article. The other Parties shall not be bound by paragraphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a declaration.
5. Any Party having made a declaration in accordance with paragraph 4 of this article may at any time withdraw the declaration by notification to the Secretary-General.

Article 33**Authentic texts**

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention are equally authentic.

Article 34**Depositary**

The Secretary-General shall be the depositary of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE AT VIENNA, in one original, this twentieth day of December one thousand nine hundred and eighty-eight.

Now therefore, in the exercise of the power conferred by sub-section 4 of section 3 of the Indian Extradition Act 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provision of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Italy with effect from the date of publication of this notification, in respect of the offences specified in the above Convention.

[F. No. C-413/13/2003]

B.A. ROY, Jt. Secy.